छत्तीसगढ़ प्रदेश में सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता: प्रगति एवं चुनौतियाँ

श्रुती मोकाशी एवं **शरच्चन्द्र लेले**

सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ATREE बंगलुरु

सहयोग- **ऑक्सफैम इंडिया**

पुनर्सम्पादन- अक्टूबर 2021

अनुवाद- विजेंद्र अजनबी (जनवरी 2022)

....

विषय सूची

1. पृष्ठभूमि 1
2. FRA के तहत 'सामुदायिक अधिकारों' को स्पष्ट करना 2
2.1 संभावित प्रकार के सामुदायिक अधिकार 2
2.2 कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग में भ्रम 3
3. उद्देश्य और पद्धति 4
4. पहले चरण में प्रदत्त सामुदायिक अधिकार-पत्रों का विश्लेषण 6
4.1 धमतरी जिला: बार-बार प्रविष्टियां, एकाधिक प्रविष्टियां, रकबा की संख्या बढ़ाना 6
क. वितरित अधिकार-पत्रों की गलत संख्या: 7
ख. सामुदायिक वन अधिकारों (CR-1) के तहत मान्य क्षेत्र का बढ़ा-चढ़ा कर आंकलन 8
4.2 जिला कोंडागाँव: आवंटित वनों में सकल त्रुटियां के उदहारण 10
4.3 जिला मुंगेली: वन ग्रामों को कोई वन क्षेत्र प्रदान नहीं किया जाना 19
5. CFRR की मान्यता: प्रगति और चुनौतियाँ 21
5.1 CFRR क्षेत्र में गैर-वन राजस्व भूमि का गलत समावेश 22
5.2 CFRR क्षेत्र की मान्यता दावे या स्वीकार्य वनक्षेत्र से कम 24
5.3 पड़ोस के गाँव की पारम्परिक सीमा में से CFRR क्षेत्र का आवंटन 26
5.4 संरक्षित क्षेत्रों में CFRR मान्यता 28
5.5 नगरीय क्षेत्रों में CFRR मान्यता 29
5.6 CFRR मान्यता: वास्तविक और संभावित 29
6. सार और अनुशंसाएँ- 31
आभार- 34
सन्दर्भ सूची- 35

छत्तीसगढ़ प्रदेश में सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता:
प्रगति एवं चुनौतियाँ

1. पृष्ठभूमि

भारत में, अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य परम्परागत वन निवासी (OTFD) पीढ़ियों से वनों में निवासरत हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। अंग्रेज़ शासनकाल में और स्वतंत्र भारत में राज्य के वनों को समेकित करने के दौरान, पैतृक भूमि पर उनके वन अधिकारों को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। इस ऐतिहासिक अन्याय को मिटाने के लिए, *अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम* (जिसे वन अधिकार अधिनियम या FRA कहा गया है) को वर्ष 2006 में अधिनियमित किया गया था। FRA मुख्य रूप से दो प्रकार के अधिकारों को मान्यता देता है-:

1) व्यक्तिगत वन अधिकार[1] ,और

2) सामुदायिक वन अधिकार।

इस अध्ययन का फोकस सामुदायिक वन अधिकारों पर है।

सामुदायिक वनाधिकार को सामुदायिक अधिकार (CR) व सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों (CFRR) में विभक्त किया जा सकता है | यह वनाधिकार FRA के प्रावधानों के जरिये लोकतांत्रिक वन अभिशासन को विकेंद्रीकृत तथा प्रगाढ़ करने में और स्थानीय लोगों की आर्थिक व सामाजिक स्थितियों में युगांतरकारी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही, वनों के प्रबंधन में सुधार के साथ, ST व OTFD समुदायों के लिए आजीविका की सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। यह महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे राज्यों में इस कानून के क्रियान्वयन में स्पष्ट दिखता है ('साहू, पॉल, और देथे' 2019; 'सरंगी 2020')| FRA, लैंगिक समानता को भी बड़ा महत्व देता है और वन अभिशासन में महिलाओं को शामिल करने के लिए जगह बनाता है।

हालाँकि, इन अधिकारों को मान्यता दिलाने की चुनौती भी रही है। खासकर, छत्तीसगढ़ में, जो मध्य भारत के राज्यों में से एक है, व्यापक CFR अधिकारों की मान्यता की अपेक्षा जायज़ है। यह 78 लाख आदिवासियों का घर है, जो राज्य की आबादी का 31% हिस्सा हैं; इनमें से 90% से अधिक ग्रामीण हैं। इसके अलावा 66% ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। छत्तीसगढ़ एक वनाच्छादित राज्य है जहां राज्य में दर्ज वन क्षेत्र (RFA) राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 45% हिस्सा है और राज्य के लगभग 50% गाँव जंगलों के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। ("भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019" 2019) अतः, इन गाँवों के निवासियों के लिए, जिनमें मुख्य रूप से ST और OTFD

[1] व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के व्यक्तियों को दी गई वन भूमि पर काबिज रहने या खेती करने का अधिकार है। ये अधिकार एक भौतिक जंगल पर नहीं बल्कि उस भूमि पर हैं जिसे गलत तरीके से 'जंगल' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन वास्तव में खेती/आवास के अधीन था।

शामिल हैं, वन ही आजीविका के प्राथमिक स्रोत हैं। दुर्भाग्य से, सामुदायिक वन अधिकार प्रावधानों का समग्र कार्यान्वयन काफी खराब है ("ओडिशा के पड़ोसी राज्यों में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय अनुसंधान अध्ययन" 2013)|

2. FRA के तहत 'सामुदायिक अधिकारों' को स्पष्ट करना

अध्ययन के उद्देश्य व पद्धति और निष्कर्षों का विवरण देने से पूर्व हम इस रिपोर्ट में उपयोग की जाने वाली कुछ शब्दावलियों को स्पष्ट और विस्तृत करने के साथ-साथ सामुदायिक अधिकारों पर सरकारी रिपोर्टिंग में उभरने वाली संभावित जटिलताओं की व्याख्या कर रहे हैं।

2.1 संभावित प्रकार के सामुदायिक अधिकार

FRA में 'सामुदायिक वन अधिकार' की कई श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों के बीच के अंतर को समझना हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।

सामुदायिक अधिकार (CR): ये धारा 3(1)(ख) से 3(1)(ड) के तहत प्रदत्त सामुदायिक वन अधिकार हैं और इसमें शामिल हैं-

- निस्तार (निस्तार पत्रक में दर्ज पारंपरिक सामुदायिक उपयोग अधिकार) जैसे अधिकार, जिनमें पूर्ववर्ती रियासतों, जमींदारी या ऐसे मध्यस्थ शासनों में उपयोग किए जाने वाले अधिकार शामिल हैं, (धारा 3(1)(ख);
- स्वामित्व के अधिकार, लघु वन उपज (जिसे गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) के रूप में भी जाना जाता है) के संग्रह, उपयोग और निपटान तक पहुँच, जिसे परंपरागत रूप से गाँव की सीमाओं के भीतर या बाहर से एकत्र किया जाता है (धारा 3(1)(ग));
- मछली और जलक्षेत्र के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या घुमंतू दोनों) और खानाबदोश या चरवाहे समुदायों के पारंपरिक संसाधन तक मौसमी पहुँच जैसे उपयोग या पात्रता के अधिकार (धारा 3(1) (घ);
- जैव-विविधता तक पहुँच का अधिकार और बौद्धिक संपदा का सामुदायिक अधिकार और जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित पारंपरिक ज्ञान (धारा 3(1)(ट)); और कोई अन्य पारंपरिक अधिकार (धारा 3(1)(ठ))

ये **वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार** हैं, और आमतौर पर पारंपरिक उपयोग क्षेत्र में मान्य किये जाते हैं, जो दसियों से सैकड़ों से लेकर कभी-कभी हजारों हेक्टेयर तक हो सकते हैं। हम उन्हें **स्पष्टता के लिए CR-1 अधिकार के तौर पर अंकित करते हैं।**

CR में मंदिरों, कब्रिस्तानों आदि स्थलों या संरचनाओं के प्रथागत उपयोग के अधिकार भी शामिल हैं। इसलिए वे **पारंपरिक (पहले से मौजूद) 'गैर-वन' उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के अधिकार** हैं। अतः एक गाँव में इस प्रकार के CR के तहत मान्यता प्राप्त वन भूमि की सीमा काफी छोटी होने की संभावना है, अधिकतम कुछ एकड़। हम उन्हें **CR-2 अधिकार के रूप में अंकित करते हैं।**

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR): यह अधिकार विशेष रूप से धारा 3(1)(झ) से संबंधित है- "किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनर्जनन, या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार,

जिसे वे सतत उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित करते रहे हैं"। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि यह समुदाय को पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं के भीतर प्रथागत सम्मिलित वनभूमि के प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार देता है। स्पष्टतः, CFRR अधिकारों की सीमा CR-1 अधिकारों के साथ-साथ या अधीन होगी (क्योंकि यह वन क्षेत्र तक पहुंच और उपयोग से संबंधित है, जिस पर ग्राम सभा भी मानती है कि उसके पास रूढ़िजन्य प्रबंधन अधिकार हैं)।

धारा 3(2) या विकासात्मक अधिकार (DRs): ये वे अधिकार हैं जो सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं जैसे स्कूल, डिस्पेंसरी या अस्पताल, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकानों, सामुदायिक केंद्रों आदि के लिए वन भूमि के डायवर्जन (व्यपवर्तन) का प्रावधान करते हैं। यह अधिकार भी प्रत्येक मामले में अधिकतम एक हेक्टेयर तक सीमित हैं।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि 'सामुदायिक अधिकारों' के व्यापक शीर्ष के तहत, स्थायी रूप के कम से कम 4 प्रमुख प्रकार हैं-:[2]

- CR-1 और CFRR, जो भूमि के विस्तृत टुकड़ों पर व्याप्त वन संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन पर हैं, जबकि
- CR-2 और DR भूमि के छोटे टुकड़ों पर गैर-वन उपयोग (क्रमशः पहले से मौजूद और नए उपयोग) के अधिकार हैं।

इसके अलावा, CFRR उसी भूमि या उस भूमि के किसी हिस्से पर हैं जिस पर CR-1 अधिकारों को मान्यता दी गई है।

2.2 कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग में भ्रम

दुर्भाग्य से, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया ने दिखाया है कि इन भेदों के बारे में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नोडल एजेंसियों में स्पष्टता का अभाव है। 2012 के संशोधित FRA नियमों ने CR और CFRR अधिकारों का दावा करने के लिए दो अलग-अलग प्रारूपों का निर्माण किया-

- क्रमशः, फॉर्म ख (सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रपत्र) और
- फॉर्म ग (सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्रपत्र)

इसके अनुरूप, दो अलग-अलग अधिकार-पत्र के प्रारूप भी दिए गए हैं –

- सामुदायिक अधिकारों का अधिकार-पत्र, जो अधिकारों को सूचीबद्ध करता है, अधिकारों के स्वरूप का वर्णन करता है, और क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है, और
- सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार-पत्र जो धारा 3(1)झ को निर्दिष्ट करता है और प्रचलित सीमा सहित, प्रमुख स्थलों द्वारा, और खसरा (सर्वे क्र.) व वनखंड संख्या द्वारा सीमाओं का विवरण देता है ।

हालांकि, फॉर्म ख और ग में क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है, न ही CR-2 या DR दावों के लिए अलग फॉर्म है। न ही यह स्पष्ट है कि प्रत्येक अधिकार (जैसे, चराई, गौण वनोपज संग्रह, जलाऊ लकड़ी संग्रहण -जो एक ही भौतिक वन क्षेत्र पर हो सकता है) को एक अलग CR अधिकार-पत्र दिया जाना है या सभी अधिकारों को एक ‘समेकित अधिकार-पत्र’ में मान्यता दी

[2] धारा 3(1)(ज) को छोड़कर—वन/सर्वेक्षित गाँव को राजस्व गाँव में बदलने का अधिकार—जो एक बार के अधिकार की तरह है।

जानी है (समेकित अधिकार–पत्र स्पष्ट रूप से अधिक उपयोगी और सुविधाजनक होगा)। इससे बहुत अधिक भ्रम की संभावना पैदा होती है।

जैसा कि हम जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) द्वारा प्रतिपादित मासिक स्थिति रिपोर्ट में देखते हैं, मान्यता प्राप्त सभी सामुदायिक अधिकारों को **एक ही कॉलम** में दर्शाया जाता है और रिपोर्ट किए गए क्षेत्र (संभवतः) जारी किए गए विभिन्न अधिकार-पत्रों में सूचीबद्ध सभी क्षेत्रों का कुल योग होता है। ऐसे में **भ्रम** (चाहे अधिकार CR-1/CFRR अधिकार हों, या CR-2/DR अधिकार हों) और मान्यता प्राप्त क्षेत्र की **दोहरी गणना** (यदि CR और CFRR अधिकारों के लिए एक ही वन क्षेत्र के लिए दो अलग-अलग अधिकार-पत्र जारी किए गए हैं, या यदि CR-1 के अलग-अलग प्रकार हैं) दोनों होती है। इसलिए इन रिपोर्टों में उल्लिखित अधिकार-पत्रों की कुल संख्या का FRA ग्राम सभाओं की संख्या से कोई संबंध नहीं है (या मनमाने ढंग से अधिक है) जिनमें सामुदायिक अधिकारों (खासकर CFRR अधिकार) को मान्यता दी गई है।[3]

'सामुदायिक अधिकारों' के भीतर महत्वपूर्ण फर्क को देखते हुए, सामुदायिक वन अधिकारों का हमारा विश्लेषण, मान्य अधिकारों की सटीक प्रकृति व उन क्षेत्रों को स्पष्ट करना चाहता है जहाँ इन्हें मान्य किया गया है, क्योंकि यह CFRR अधिकारों के तहत वन 'प्रबंधन' के बाद के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण होगा।

3. उद्देश्य और पद्धति

यह अध्ययन सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त अधिकार-पत्रों को समझने के प्रयास से शुरू किया गया था। प्रदेश में अधिकारों की मान्यता दो चरणों में हुई थी। पहला चरण वर्ष 2008 से 2018 तक था। इस अवधि के दौरान, शुरुआत में केवल IFR अधिकारों की मान्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वर्ष 2013 और 2016 के बीच जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) को प्रस्तुत मासिक स्थिति रिपोर्ट में मान्य सामुदायिक अधिकारों पर कोई जानकारी नहीं दी गयी थी। बाद की रिपोर्टों में अचानक बड़ी संख्या में सामुदायिक अधिकार दिखाए गए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे किस प्रकार के अधिकार थे। जमीनी जानकारी से संकेत मिलता है कि- (क) वे CFRR अधिकार नहीं थे (वे या तो CR-1, CR-2 या DR थे), और (ख) ज्यादातर मामलों में वे केवल कागज पर थे. (ततपथि 2015)

दूसरा चरण 2019 में सरकारों में बदलाव के साथ शुरू हुआ प्रतीत होता है, आने वाली सरकार ने FRA को अपने प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। 2020 की शुरुआत में हिंदी में एक मैनुअल प्रकाशित किया गया था जिसमें CR और CFRR का दावा कैसे किया जा सकता है,

---

[3] महाराष्ट्र राज्य में, जहां सामुदायिक वन अधिकार प्रावधानों को पहले लागू किया गया था, उस गाँव के लिए मान्यता प्राप्त सीआर, सीएफआरआर और सीएफआरआर क्षेत्र का विवरण देने वाले एकल अधिकार-पत्र कई गांवों में वितरित किए गए थे। उन मामलों में, वितरित पत्रों की संख्या एफआरए के तहत मान्यता प्राप्त गांवों या ग्राम सभाओं की संख्या से मेल खाती है और क्षेत्र के योग से उस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त कुल सीएफआरआर क्षेत्र का संकेत मिलता है। दुर्भाग्य से, पूरे महाराष्ट्र में इस प्रथा का व्यवस्थित रूप से पालन नहीं किया गया था और (जैसा कि हम नीचे देखेंगे) छत्तीसगढ़ में यह पूरी तरह से गायब है।

इसके बारे में विस्तृत निर्देश थे। इसके बाद, राज्य सरकार ने CFRR अधिकार की मान्यता पर ध्यान केंद्रित किया और अगस्त 2020 से एकसाथ में अधिकार-पत्र वितरित किए गए हैं।

दो चरणों में दृष्टिकोण और कार्यान्वयन की गुणवत्ता में अंतर के बावजूद, छत्तीसगढ़ सरकार दिए गए सभी अधिकारों को 'सामुदायिक वन अधिकार' के रूप में रिपोर्ट कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की हालिया प्रतिवेदन ("वन अधिकार उम्मीद" 2020) का दावा है कि, 30,58,873 एकड़[4] पर कुल 30,941 'सामुदायिक वन अधिकार पत्र' प्रदान किये गए हैं। इस आधार पर, यह FRA के सन्दर्भ में सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता में देश का अग्रणी राज्य है। इसी तरह, हाल की अखबारों की रिपोर्टों ने निष्कर्ष निकाला है कि "**छत्तीसगढ़ वन अधिकारों को पहचानने में अग्रणी है**" (द टेलीग्राफ इंडिया 2020) क्योंकि अक्टूबर 2020 तक यहाँ "41,64,700 एकड़ से अधिक पर 46,000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र " और लगभग 5,00,000 हेक्टेयर से अधिक पर 1300 "सामुदायिक वन संरक्षण अधिकार"(CFRR) को मान्य किया गया। हाल ही अगस्त 2021 में, छत्तीसगढ़ सरकार ने 3,200 CFRR दावों को मान्यता प्रदान करने का ऐलान किया था| यह संख्या अक्टूबर 2021 तक बढ़ कर 4000 हो गई|

अतैव, छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता पर इस अध्ययन के दोहरे उद्देश्य हैं:

1) पहले चरण में CR-1 (वन उपयोग अधिकारों) के अमल के तरीके को और उसमे

2) दूसरे चरण में CFRR (वन प्रबंधन) अधिकारों की मान्यता के क्रियान्वयन के तरीके और इस प्रक्रिया को मजबूत करने के उपायों को समझने के लिए।

जब मार्च 2020 में यह अध्ययन शुरू हुआ तब जमीन से आंकड़े एकत्रित किया जाना था| इसमें कई जिलों के लिए गाँव स्तर के आंकड़े एकत्र करना था और उन जिलों के सरकारी अधिकारियों से मिलकर साक्षात्कार भी करना था। साथ ही, अनुसंधान पद्धति में सैम्पल क्षेत्रों में वन अधिकार समिति के सदस्यों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ साक्षात्कार द्वारा उनके अनुभवों, तर्कों और CR/CFRR अधिकारों की मान्यता में आने वाली बाधाओं को समझना शामिल था।

हालाँकि, COVID-19 महामारी और परिणामस्वरूप लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण, हमें अपनी रणनीति को संशोधित करना पड़ा। हम भाग्यशाली थे कि कुछ जिलों के अधिकारियों ने ई-मेल पर आंकड़े देने के हमारे अनुरोधों का जवाब दिया, और वे हमारे विश्लेषण के परिणामों में भी रुचि रखते थे। इसलिए हम दो जिलों (धमतरी और कोंडागाँव) में अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठकें करने में सक्षम थे और कई जिलों में इस मुद्दे पर काम कर रहे नागरिक समाज समूहों के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी कर पाए। नए मान्यता प्राप्त CFRR अधिकार-पत्रों के मामले में, दावों और पत्रों की प्रतियां संस्थाओं के सहयोग से साझा हुई, इससे हमारे विश्लेषण को व्यापक आधार मिला। इसके बाद, मार्च 2021 में और फिर अगस्त/सितंबर 2021 में, हम बस्तर जिले में गाँवों का अतिरिक्त दौरा करने, द्वितीयक आंकड़े एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने और कुछ गाँवों में प्रति-परिक्षण करने में सक्षम रहे।[5] यह संशोधित रिपोर्ट इन सभी डेटासेट पर आधारित है।

---

[4]जैसे, महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट में 7,084 सामुदायिक अधिकार-पत्र 28,36,660 एकड़ भूमि पर है।

[5] यह कार्य ऑक्सफैम ग्रांट ख़त्म होने के बाद किया गया और इसे ATREE के आन्तरिक निधि से पूर्ण किया गया

4. पहले चरण में प्रदत्त सामुदायिक अधिकार-पत्रों का विश्लेषण

यद्यपि, छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि 2018 के अंत तक 21,967 सामुदायिक अधिकार-पत्रों को मान्यता दी गई थी, विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारी इन शीर्षकों में कई कमियों का संकेत देती है:

क) अधिकार-पत्र केवल CR अधिकार-पत्र थे (वन उत्पादों को एकत्र करने के लिए पहले से मौजूद निस्तार अधिकारों को मान्यता देना) न कि CFRR अधिकार-पत्र (प्रबंधन अधिकार)।

ख) कई मामलों में अधिकार-पत्र संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के नाम पर दिए गए थे, न कि ग्राम सभाओं के नाम पर, जैसा कि कानून में आवश्यक है (मिश्रा 2016)

ग) इनमें से अधिकांश अधिकार-पत्र वन विभाग द्वारा वन अधिकार समिति या ग्राम सभा की भागीदारी के बिना स्वप्रेरणा से दी गई थीं।

घ) मान्यता प्राप्त क्षेत्र अक्सर महत्वहीन था। उदाहरण के लिए कांकेर जिले के पोडगाँव गाँव में, कुछ साल पहले, ग्रामीणों की जानकारी के बिना एक हेक्टेयर वन भूमि पर धारा 3(1)(झ) के तहत एक CFRR अधिकार-पत्र दिया गया था। एक हेक्टेयर भूमि, जिसका निर्दिष्ट स्थान पता नहीं, पर CFRR अधिकार-पत्र देना, व्यर्थ ही है । ("वन निवास समुदाय और FRA 2006 - 24 साइटों से साक्ष्य" 2019)

दूसरी ओर, वितरित किए गए अधिकार-पत्रों की संख्या (21,967) और उसके अधीन क्षेत्र (20,38,146 एकड़)[6] बहुत प्रभावशाली लग रहा था, जो कि वास्तविक जानकारी का खंडन करता प्रतीत होता है। इसलिए, हमने (COVID-19 द्वारा लगाई गई सीमाओं के भीतर) अधिकार-पत्र व मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की वास्तविक प्रकृति की जांच करने का निर्णय लिया। हमारे निष्कर्ष इन शीर्षकों में गंभीर कमियों/खामियों की ओर ईशारा करते हैं। जिन तीन जिलों के लिए हम आंकड़े प्राप्त करने में सक्षम थे, वे मान्यता प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की कमियों का संकेत देते हैं।

4.1 धमतरी जिला: बार-बार प्रविष्टियां, एकाधिक प्रविष्टियां, रकबा की संख्या बढ़ाना

धमतरी जिला छत्तीसगढ़ राज्य के मैदानी क्षेत्र में स्थित है और इसमें चार ब्लॉक हैं- धमतरी, कुरुद, नगरी और मगरलोड। जिले के कुल 4,084 वर्ग किमी क्षेत्रफल में से 2,131 वर्ग कि.मी. वनभूमि है। आदिवासी आबादी करीब 2 लाख है, जो जिले की कुल आबादी का 25% है । इस प्रकार, धमतरी FRA कार्यान्वयन के लिए संभावनापूर्ण जिलों में से एक है। धमतरी जिले में 'मान्यता प्राप्त सामुदायिक वन अधिकार- अधिकार-पत्र वितरण स्थिति' शीर्षक से एक सूची जिले के आदिवासी कल्याण विभाग से प्राप्त की गई थी। सूची में कुल 1,378 प्रविष्टियां थीं। अगस्त 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार के आदिवासी और अनुसूचित जाति विभाग द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट, 'वन अधिकार नयी आशाएं' में उद्धृत है कि धमतरी जिले में लगभग 1,46,688 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,378 अधिकार-पत्र

[6] दिसंबर 2018 के आंकड़े

दिए गए। लेकिन धमतरी जिले में कुल 649 गाँव[7] ही हैं। फिर 1,378 अधिकार-पत्र कैसे दिए जा सकते है? सूची का विश्लेषण करने पर हमें दो मुख्य मुद्दे मिले- पहला धमतरी जिले में मान्यता प्राप्त सामुदायिक वन अधिकार-पत्रों की संख्या और दूसरा सामुदायिक वन अधिकारों के तहत मान्यता प्राप्त क्षेत्र के संबंध में।

क. वितरित अधिकार-पत्रों की गलत संख्या:

1. सूची की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि **सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त प्रत्येक गाँव/ग्राम सभा के लिए एक प्रविष्टि के बजाय, प्रत्येक पंक्ति एक सामुदायिक अधिकार और उस गाँव में तत्संबंधी मान्य रकबे से मेल खाती है**। इस प्रकार प्रत्येक प्रविष्टि गाँव में मान्यता प्राप्त अधिकार का वर्णन करती है जैसे कि NTFP संग्रहण, जलावन संग्रह, चराई, मंदिर, शमशान, स्कूल इत्यादि। उदाहरण के लिए, बसीखाई गाँव में मान्यता प्राप्त निम्नलिखित सामुदायिक अधिकारों को देखें। इस प्रकार सूची वास्तव में सामुदायिक अधिकारों की है, लेकिन इसे गलत तरीके से CR/CFRR अधिकार-पत्र सूची के रूप में उद्धृत किया गया है।

प्रविष्टि क्र.	ब्लाक	ग्राम पंचायत	गाँव	सामुदायिक अधिकार	क्षेत्रफल (हे)
636	कुरूद	बसिखाई	बसिखाई	गाँव	0.04
635	कुरूद	बसिखाई	बसिखाई	आंगनबाड़ी	0.21
634	कुरूद	बसिखाई	बसिखाई	स्कूल	0.21
637	कुरूद	बसिखाई	बसिखाई	शमशान	0.25
641	कुरूद	बसिखाई	बसिखाई	गौण वनोपज संग्रहण	01
633	कुरूद	बसिखाई	बसिखाई	खेल मैदान	01
639	कुरूद	बसिखाई	बसिखाई	चराई	20
640	कुरूद	बसिखाई	बसिखाई	चराई	20
638	कुरूद	बसिखाई	बसिखाई	गौण वनोपज संग्रहण	794.80

2. आंकड़े-पत्रकों में एक ही दावे की (अलग-अलग क्रमांकों के साथ) बार-बार प्रविष्टियां होती हैं। उदाहरण के लिए: ग्राम गोरसानाला में 205 हेक्टेयर भूमि को दो बार चराई के लिए मान्यता दी गई है - पहली प्रविष्टि क्र. 280 पर और दूसरी प्रविष्टि क्र. 1335 पर। इसी तरह, घोटगाँव में, 2 हेक्टेयर क्षेत्र को श्मशान भूमि के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन यह अलग-अलग क्रमांकों पर चार बार दोहराया गया है। इस **प्रकार लगभग 287 ऐसी दोहराई गई प्रविष्टियाँ** सूची में पाई गईं। जब इन दोहराई गई प्रविष्टियों को सूची से हटा दिया गया तो प्रविष्टियों की कुल संख्या लगभग 1,091 हो गई।

प्रविष्टि क्र.	ब्लाक	ग्राम पंचायत	गाँव	सामुदायिक अधिकार	क्षेत्रफल (हे)
280	नगरी	टांगापानी	गोरसानाला	चराई	205
1335	नगरी	टांगापानी	गोरसानाला	चराई	205

[7] https://dhamtari.gov.in/about-district/administrative-setup/

प्रविष्टि क्र.	ब्लाक	ग्राम पंचायत	गाँव	सामुदायिक अधिकार	क्षेत्रफल (हे)
1030	नगरी	गोठगाँव	गोठगाँव	शमशान	2
1162	नगरी	गोठगाँव	गोठगाँव	शमशान	2
1224	नगरी	गोठगाँव	गोठगाँव	शमशान	2
1260	नगरी	गोठगाँव	गोठगाँव	शमशान	2
1332	नगरी	गोठगाँव	गोठगाँव	शमशान	2

3. **DR और CR-2 अधिकारों के अनुरूप प्रविष्टियों की संख्या:** यह पाया गया कि **1,091** प्रविष्टियों में से 3 प्रविष्टियों में अधिकार के प्रकार का निर्धारण नहीं किया जा सका। इसलिए शेष **1,088** प्रविष्टियों में से, लगभग **670** प्रविष्टियाँ या तो विकासमूलक अधिकार यानी DR (धारा 3(2)) या CR-2 अधिकार के रूप में दी गईं। ऐसा लगता है कि ये अधिकार सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं जैसे स्कूल, डिस्पेंसरी या अस्पताल, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकानों, सामुदायिक केंद्रों या रूढ़िजन्य उपयोग के स्थलों या संरचनाओं जैसे मंदिरों, कब्रिस्तानों आदि के लिए दिए गए हैं जो वन भूमि पर हैं। अतः, सिर्फ **418** प्रविष्टियाँ वन उपयोग के अधिकार अर्थात CR-1 जैसे NTFP संग्रहण, चराई आदि से संबंधित हैं।

4. यहाँ तक कि, इन **418** प्रविष्टियों में से भी, **84 प्रविष्टियों** में CR-1 क्षेत्र को 20 हेक्टेयर या उससे कम पर मान्यता प्राप्त थी। इसलिए केवल **334** प्रविष्टियों के पास वास्तविक CR-1 अधिकार थे।

5. जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रत्येक पंक्ति गाँवों में मान्यता प्राप्त समुदाय के अधिकार से मेल खाती है। नतीजतन, एक गाँव के लिए **कई प्रविष्टियां** थीं, जैसा कि ऊपर के उदाहरण में देखा गया है। प्रति गाँव प्रविष्टियों की संख्या में भारी अंतर था। उदाहरण के लिए, कुरुद ब्लॉक के बनियाटोरा जैसे कुछ गाँवों में CR-1 (चराई) के लिए केवल एक प्रविष्टि थी, जबकि नगरी ब्लॉक के कौहाबहरा और भड़सिवना जैसे गाँवों में सामुदायिक अधिकारों की क्रमशः 28 और 31 प्रविष्टियां थीं (CR-1, CR-2, और DR)। जब विश्लेषण किया गया, तो **इन अधिकारों की मान्यता प्राप्त गाँवों की कुल संख्या लगभग 243 थी। इस प्रकार सामुदायिक अधिकारों प्राप्त ग्राम सभाओं की कुल संख्या वास्तव में 243 है न कि 1,378।**

6. इसके अलावा, 243 गाँवों में से लगभग **96 गाँवों** को केवल CR-2 और DR प्राप्त हुए थे। इन 96 गाँवों को NTFP संग्रह, चराई आदि के लिए कोई CR-1 अधिकार नहीं मिला था। इसलिए, हम कह सकते हैं, **केवल 147 गाँवों को CR-1 अधिकार प्राप्त हुए थे।**

<u>ख. सामुदायिक वन अधिकारों (CR-1) के तहत मान्य क्षेत्र का बढ़ा-चढ़ा कर आंकलन</u>

सामुदायिक अधिकारों के तहत मान्यता प्राप्त क्षेत्र के साथ विशेष रूप से CR-1 अधिकारों से संबंधित कई मुद्दे थे। जैसा कि रिपोर्ट में संकेत दिया गया है, धमतरी जिले में लगभग **1,46,688** हेक्टेयर क्षेत्र में ("वन अधिकार नयी आशाएं" 2020) 1,378 अधिकार-पत्र वितरित किए गए थे। जब हमने 1,378 प्रविष्टियों के क्षेत्रफल की गणना की तो यह लगभग **1,43,674** हेक्टेयर आया, जो उद्धृत आधिकारिक आंकड़े से 3,000 हेक्टेयर कम है।

1. जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, सूची में कई दोहराव वाली प्रविष्टियाँ थीं। ये दोहराई गई प्रविष्टियाँ न केवल वितरित पत्रों की संख्या को बढ़ा रही थीं बल्कि मान्यता प्राप्त

सामुदायिक वन अधिकार के रकबे को भी जोड़ रही थीं। उदाहरण के लिए, फ़ारसिया गाँव के लिए कई बार दोहराई जाने वाली प्रविष्टियाँ थीं। इन प्रविष्टियों के क्षेत्रफल में वृद्धि लगभग 10,370 **हेक्टेयर** हो गई। लेकिन जिसे सर्वाधिक रकबे वाले CFRR के रूप में मान्यता दी गई है, उस गाँव जबर्रा में 5,352 हेक्टेयर क्षेत्र है।

प्रविष्टि क्र.	**ब्लाक**	**ग्राम पंचायत**	**गाँव**	**सामुदायिक अधिकार**	**क्षेत्रफल (हे)**
1042	नगरी	फरसिया	फरसिया	जलावन संग्रहण, निस्तार	218
1174	नगरी	फरसिया	फरसिया	जलावन संग्रहण, निस्तार	218
1236	नगरी	फरसिया	फरसिया	जलावन संग्रहण, निस्तार	218
1271	नगरी	फरसिया	फरसिया	जलावन संग्रहण, निस्तार	218
1317	नगरी	फरसिया	फरसिया	जलावन संग्रहण, निस्तार	218
1043	नगरी	फरसिया	फरसिया	चराई	393
1175	नगरी	फरसिया	फरसिया	चराई	393
1237	नगरी	फरसिया	फरसिया	चराई	393
1272	नगरी	फरसिया	फरसिया	चराई	393
1318	नगरी	फरसिया	फरसिया	चराई	393
1041	नगरी	फरसिया	फरसिया	गौण वनोपज संकलन	1,463
1173	नगरी	फरसिया	फरसिया	गौण वनोपज संकलन	1,463
1235	नगरी	फरसिया	फरसिया	गौण वनोपज संकलन	1,463
1270	नगरी	फरसिया	फरसिया	गौण वनोपज संकलन	1,463
1316	नगरी	फरसिया	फरसिया	गौण वनोपज संकलन	1,463
				योग	**10,370**

इसलिए सभी प्रविष्टियों का सरल जोड़, गाँव व धमतरी जिले में मान्यता प्राप्त कुल सामुदायिक वन क्षेत्र का सच्चा प्रतिनिधि नहीं है।

पिछले विश्लेषण में हमें जो 287 दोहरी प्रविष्टियां मिलीं, वे कुल 49,223 **हेक्टेयर** अतिरिक्त क्षेत्र को जोड़ रही थीं।

2. **विभिन्न प्रकार के अधिकारों के लिए एक ही क्षेत्र दिया गया:** उन मामलों में जहां विभिन्न प्रकार के अधिकारों के लिए एक ही क्षेत्र दिया गया है, यह निर्धारित करना मुश्किल था कि क्या उन अधिकारों का एक ही क्षेत्र में उपभोग किया जाना है या इन अधिकारों के लिए आवंटित दो अलग-अलग क्षेत्र हैं, क्योंकि, कंपार्टमेंट संख्या/खसरा संख्या निर्दिष्ट नहीं हैं। यह विशेष रूप से जलावन संग्रहण, NTFP संग्रहण और चराई अधिकारों के मामले में है। उदाहरण के लिए, माटेगहन गाँव में 50 हेक्टेयर के एक ही भूमि के टुकड़े पर सामुदायिक अधिकारों का प्रयोग किया जाना था या 50 हेक्टेयर के तीन अलग-अलग क्षेत्रों को मान्यता दी गई है (यानि 150 हेक्टेयर बनाते हुए) तय नहीं किया जा सकता है।

प्रविष्टि क्र.	ब्लाक	ग्राम पंचायत	गाँव	सामुदायिक अधिकार	क्षेत्रफल (हे)
1012	धमतरी	चिखली	माटेगहन	NTFP संकलन	50
1013	धमतरी	चिखली	माटेगहन	चराई	50
1014	धमतरी	चिखली	माटेगहन	जलावन संग्रहण	50

1. कुछ गाँवों के लिए एक ही प्रकार के अधिकार के लिए अलग-अलग क्षेत्रों को मान्य किया गया है। उदाहरण के लिए, भड़सिवना गाँव में, जलावन संग्रह के लिए मान्यता प्राप्त **क्षेत्र 26 हे. और 250 हे.** है। इसी प्रकार **300 हे. और 38 हे.** चराई के लिए मान्यता प्राप्त है, और NTFP उद्देश्यों के लिए **300 और 526 हेक्टेयर** क्षेत्र को मान्यता दी गई है। नतीजतन, यह निर्धारित करना मुश्किल है कि क्या ये क्षेत्र एक ही है या वे अलग-अलग हैं।

प्रविष्टि क्र.	ब्लाक	ग्राम पंचायत	गाँव	सामुदायिक अधिकार	क्षेत्रफल (हे)
302	नगरी	भडसिवना	भडसिवना	जलावन संग्रहण	26
1355	नगरी	भडसिवना	भडसिवना	जलावन संग्रहण	250
301	नगरी	भडसिवना	भडसिवना	चराई	38
1353	नगरी	भडसिवना	भडसिवना	चराई	300
299	नगरी	भडसिवना	भडसिवना	NTFP संकलन	300
1358	नगरी	भडसिवना	भडसिवना	NTFP संकलन	526

तो यह इंगित करता है कि रकबों का योग जिले में मान्यता प्राप्त वास्तविक CR/CFRR क्षेत्र नहीं होगा। तो यह संख्या त्रुटिपूर्ण है। और शेष 94,451 हेक्टेयर भी अतिशय है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अधिकारों के लिए एक ही रकबे को बार बार दिया जाता है जैसा कि बिंदु 3 और 4 में देखा गया है।

4.2 जिला कोंडागाँव: आवंटित वनों में सकल त्रुटियां के उदहारण

कोंडागाँव जिले में हम जिले के लिए संपूर्ण सामुदायिक वन अधिकार के आंकड़े प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इसके बजाय हमें कोंडागाँव जिले की केशकाल तहसील में मान्यता प्राप्त अधिकार-पत्रों की सूची मिली। गाँव के विवरण और मान्यता प्राप्त अधिकारों के अलावा, सूची में वन खंड भी शामिल थे जिन्हें सामुदायिक वन अधिकारों के तहत मान्यता दी गई थी, इस प्रकार हमें मान्यता प्राप्त क्षेत्र के विस्तार का एक बेहतर विचार मिलता है।

सूची में सामुदायिक अधिकारों के लिए कुल 92 प्रविष्टियां थीं। लेकिन विशिष्ट गाँवों की वास्तविक संख्या जिन्हें अधिकार-पत्र मिले थे, 37 थी। अधिकांश अधिकार CR-1 प्रकार के थे जैसे चराई और NTFP संग्रह के साथ-साथ कुछ CR-2 और DR भी । मान्य सामुदायिक अधिकार अधिकार-पत्र में निम्नलिखित मुद्दे सामने आए हैं।

1. अधिकतम मामलों में NTFP संग्रहण और चराई के लिए एक ही रकबा और वनखंड दिए गए थे। यह इंगित करता है कि इनमें से अधिकतर **अधिकार एक ही क्षेत्र में हैं लेकिन अलग-अलग प्रविष्टियां की गई हैं**। उदाहरण के लिए माहुरबेड़ा गाँव का मामला देखें-

प्रविष्टि क्र.	तहसील	वनखंड संख्या	गाँव	सामुदायिक अधिकार	क्षेत्रफल (हे)
91	केशकाल	P 2786, RF 2799	माहुरबेडा	चराई	190
92	केशकाल	P 2786, RF 2799	माहुरबेडा	गौण वनोपज संकलन	190

2. नगण्य क्षेत्र की मान्यता- पिपरा गाँव का मामला: पिपरा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा गाँव है (जनसंख्या 11,728 जिनमें से 870 अनुसूचित जनजाति के हैं) और कुल भौगोलिक क्षेत्र भी काफी बड़ा (6,761 हेक्टेयर) है। उसी तरह इसमें **2,702 हे.** क्षेत्र को भी जनगणना में वन के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन सामुदायिक वन क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त कुल क्षेत्रफल कम्पार्टमेंट संख्या OA 2954 है जो मुश्किल से 12 हे. है। (कम्पार्टमेंट संख्या 2954 में चराई और NTFP अधिकार एक ही क्षेत्र में हैं)।

प्रविष्टि क्र.	तहसील	वनखंड सं.	गाँव	सामुदायिक अधिकार	क्षेत्रफल (हे)
13	केशकाल	OA 2954	पिपरा	चराई	11
14	केशकाल	OA 2954	पिपरा	शमशान	0.9
15	केशकाल	OA 2954	पिपरा	NTFP संकलन	11

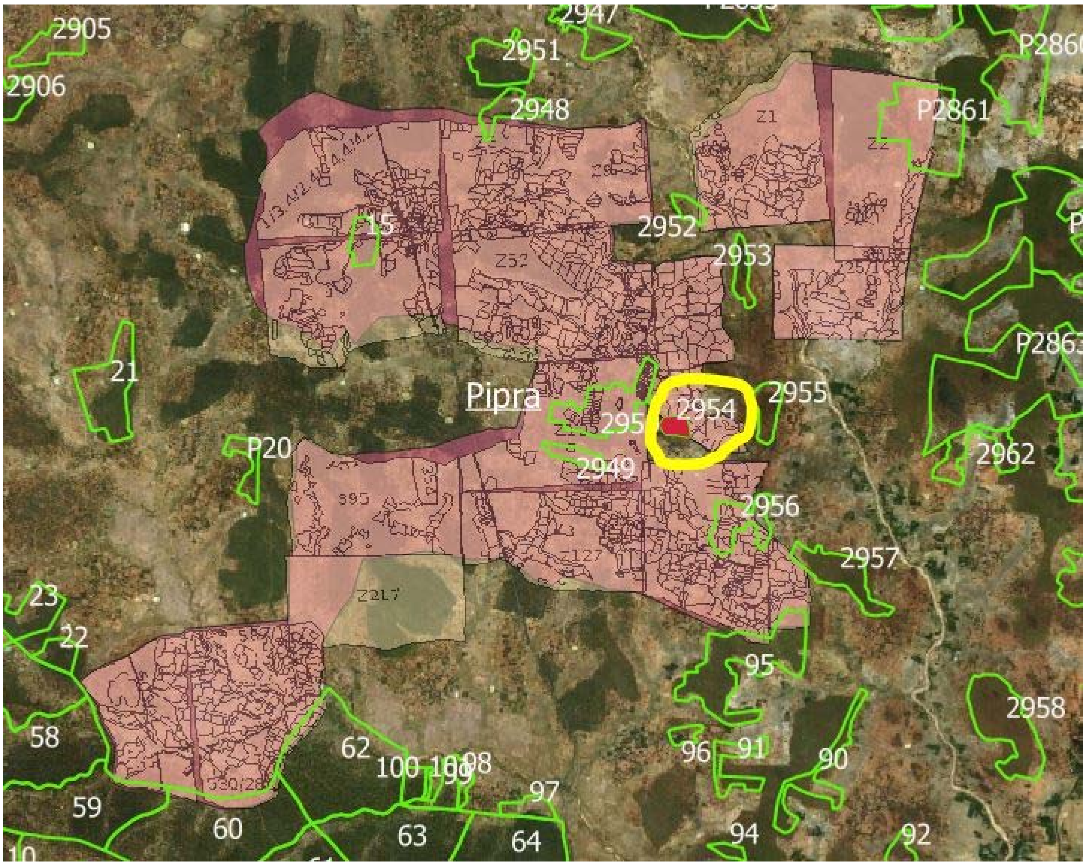

MAP-1 *पिपरा गाँव (गुलाबी रंग में) और CR अधिकार प्राप्त वनखंड*

इतनी बड़ी आबादी का एक गाँव 12 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर कैसे गुजारा कर सकता है? जनगणना के आंकड़े गाँव के **कुल क्षेत्रफल के अन्दर** 2,702 **हे. वन क्षेत्र** को इंगित करते हैं। इसे ऊपर कैडस्ट्रल नक़्शे में भी देखा जा सकता है। लेकिन इस क्षेत्र को मान्यता नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त गाँव की दक्षिणी और पूर्वी सीमा पर कई वनखंड हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि लोग जंगल के इन हिस्सों पर आश्रित है और उसका उपभोग कर रहे हैं। साथ ही पिपरा के आसपास दिखाई देने वाले वन हिस्सों, जो वनखंड में नहीं है की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

3. **बेतरतीब/अनियमित सामुदायिक वन क्षेत्र मान्यता: 3 पड़ोसी गाँवों का मामला:** गौरगाँव (चिखलाडीह), कोहकामेटा और सिधवंद। हमने यह समझने के लिए तीन पड़ोसी गाँवों का उदाहरण लिया कि किस क्षेत्र को इन गाँवों के CR क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।

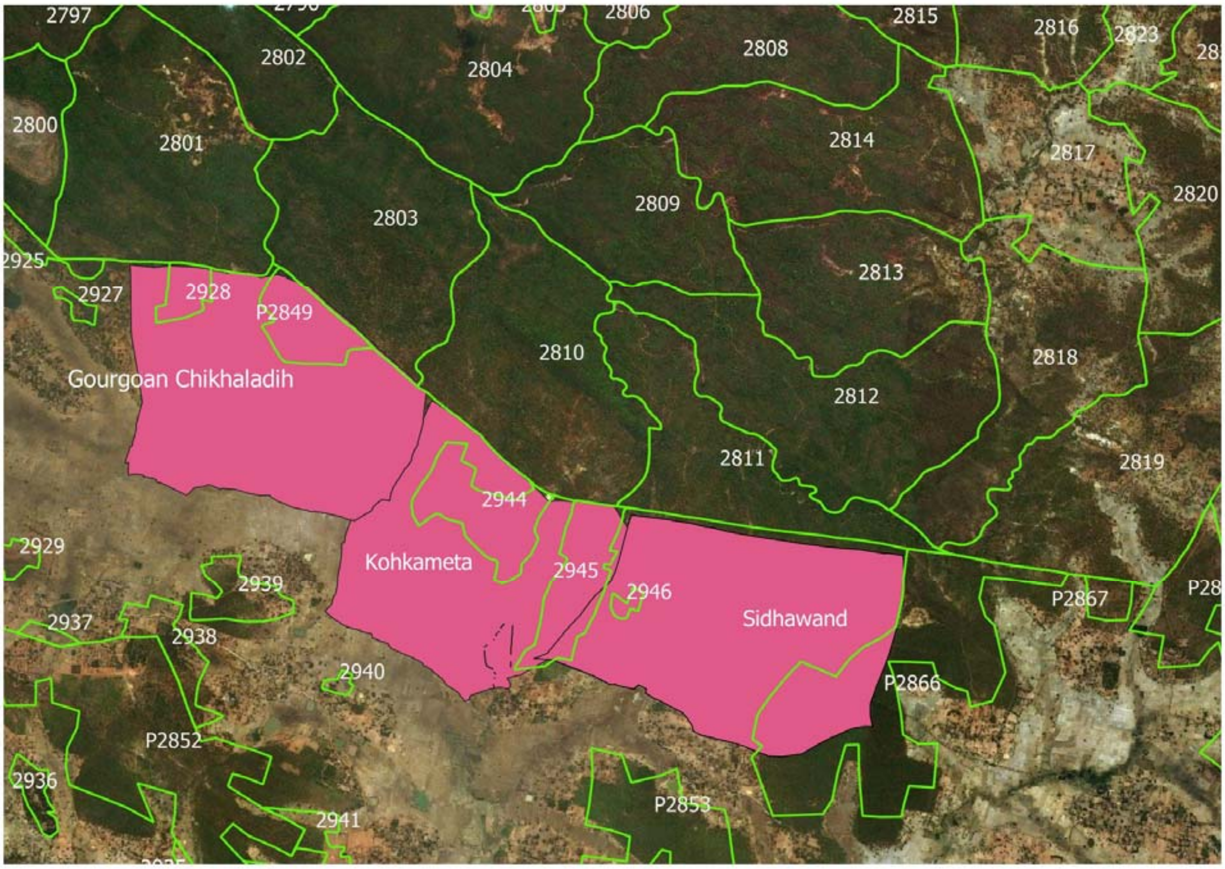

MAP-2 अपने पडोसी वनखण्डों के बरक्स *गौरगाँव, कोहकमेटा और सिधवंद गाँव (गुलाबी) की स्थिति (हरी रेखाएं)*

क) गौरगाँव

गौरगाँव गाँव का सामुदायिक वन क्षेत्र RF 2802, 2896, और P 2849 के वनखण्डों में मान्य किया गया था। नीचे दिया गया आंकड़ा गाँव की स्थिति और मान्यता प्राप्त CR क्षेत्र को दर्शाता है। कंपार्टमेंट 2896 गाँव के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 20 किमी पर धनोरा RA वृत्त में है। कोई अन्य 2896 कम्पार्टमेंट नहीं है। कम्पार्टमेंट 2896 गलत प्रविष्टि का मामला लगता है। लेकिन फिर यह पता लगाना मुश्किल है कि गौरगाँव के CR क्षेत्र के रूप में कौन से अन्य वनखंड को मान्यता दी

गई है (यह 2928 हो सकता है)। इसके अलावा कंपार्टमेंट 2802 गाँव से सटा नहीं है बल्कि गाँव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है।

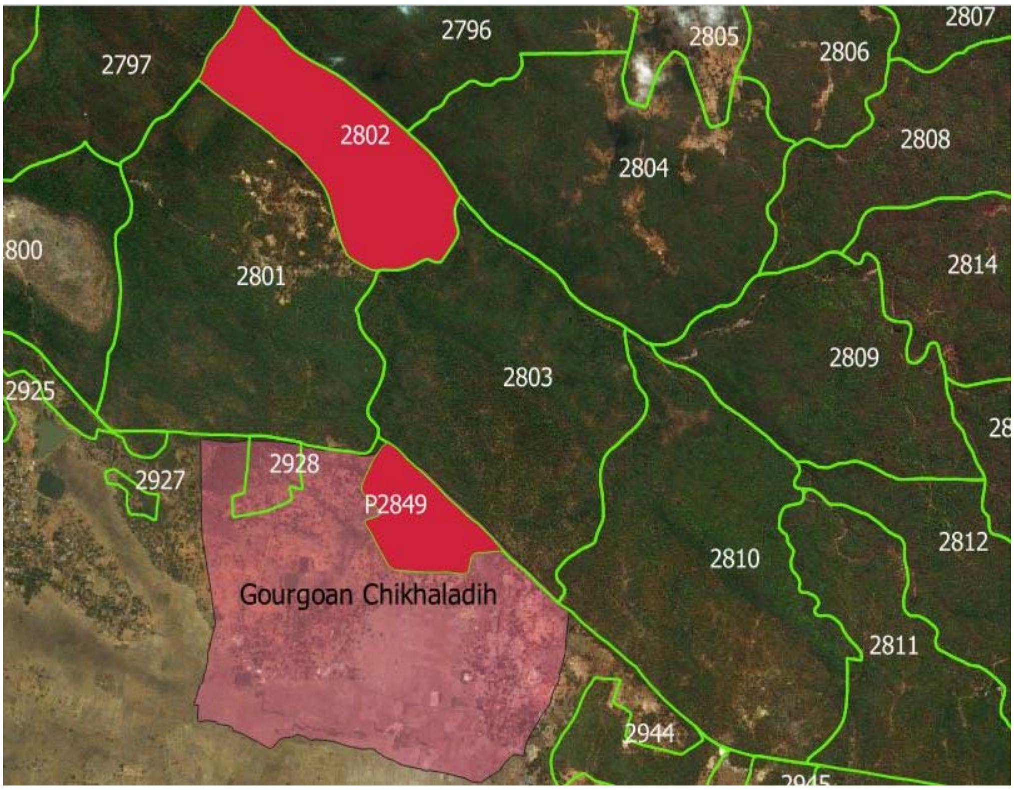

MAP-3 *गौरगाँव गाँव (गुलाबी) और CR अधिकार में दिए वनखंड (लाल)*

<u>ख) कोहकामेटा:</u>

कोहकामेटा के लिए चराई के लिए OA 2954, 2945, 2809 और 2804 वनखण्डों पर **1,071 हेक्टेयर** रकबे की केवल एक प्रविष्टि है। गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्र 436 हेक्टेयर है। यहाँ भी, कम्पार्टमेंट OA 2954 गाँव से लगभग 15 किमी दूर दक्षिण में है। (यह 2944 के लिए गलत प्रविष्टि का मामला हो सकता है जो कि राजस्व सीमा के भीतर है)। इसके अतिरिक्त अन्य दो वनखंड 2809 और 2804 गाँव की सीमा में नहीं हैं, बल्कि गाँव से 2 किमी से अधिक की दूरी पर हैं जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।

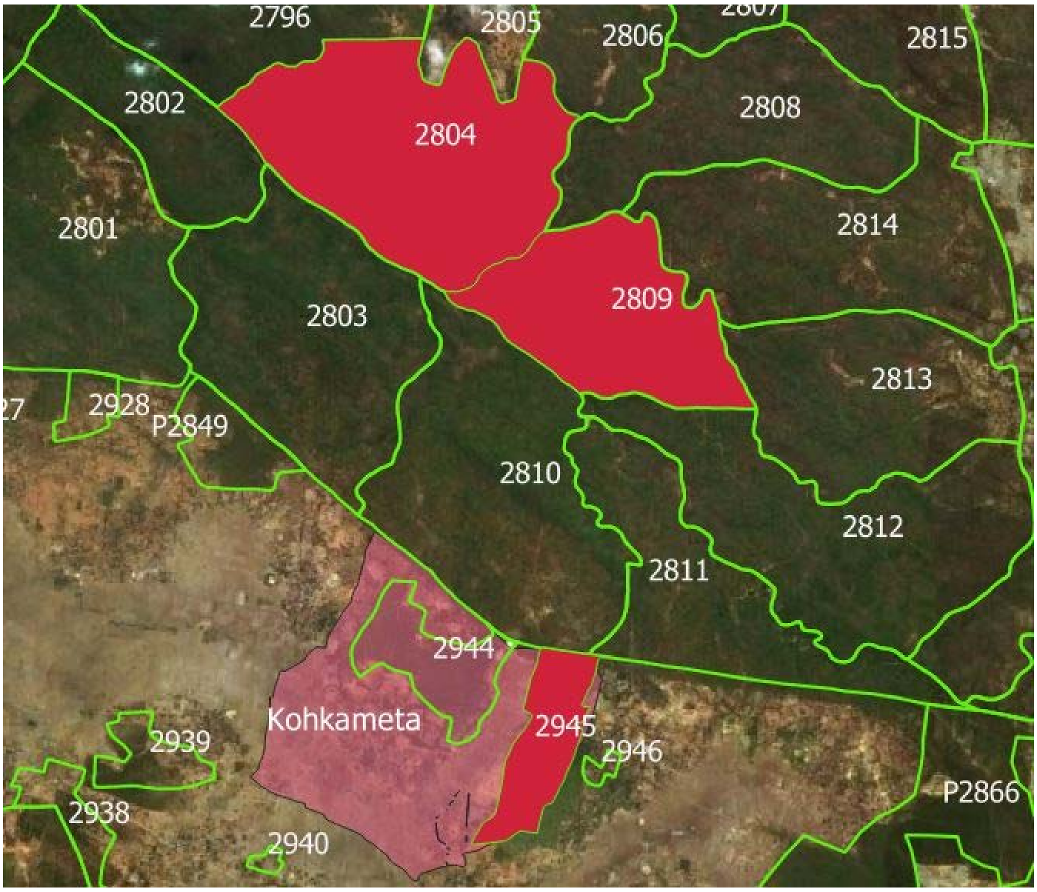

MAP-4 *कोहकामेटा ग्राम (गुलाबी रंग) और CR अधिकार-पत्र में दिए वनखंड (लाल रंग)*

c) सिधवंड

दूसरी ओर, सिधवंड गाँव के सामुदायिक वन क्षेत्र को 4 वनखण्डों- आरएफ 2811, 2812, 2813 व 2814 में मान्यता दी गई थी। जहां कम्पार्टमेंट आरएफ 2811 गाँव की सीमा के निकट था और अन्य बाद में आसन्न वनखंड थे जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।

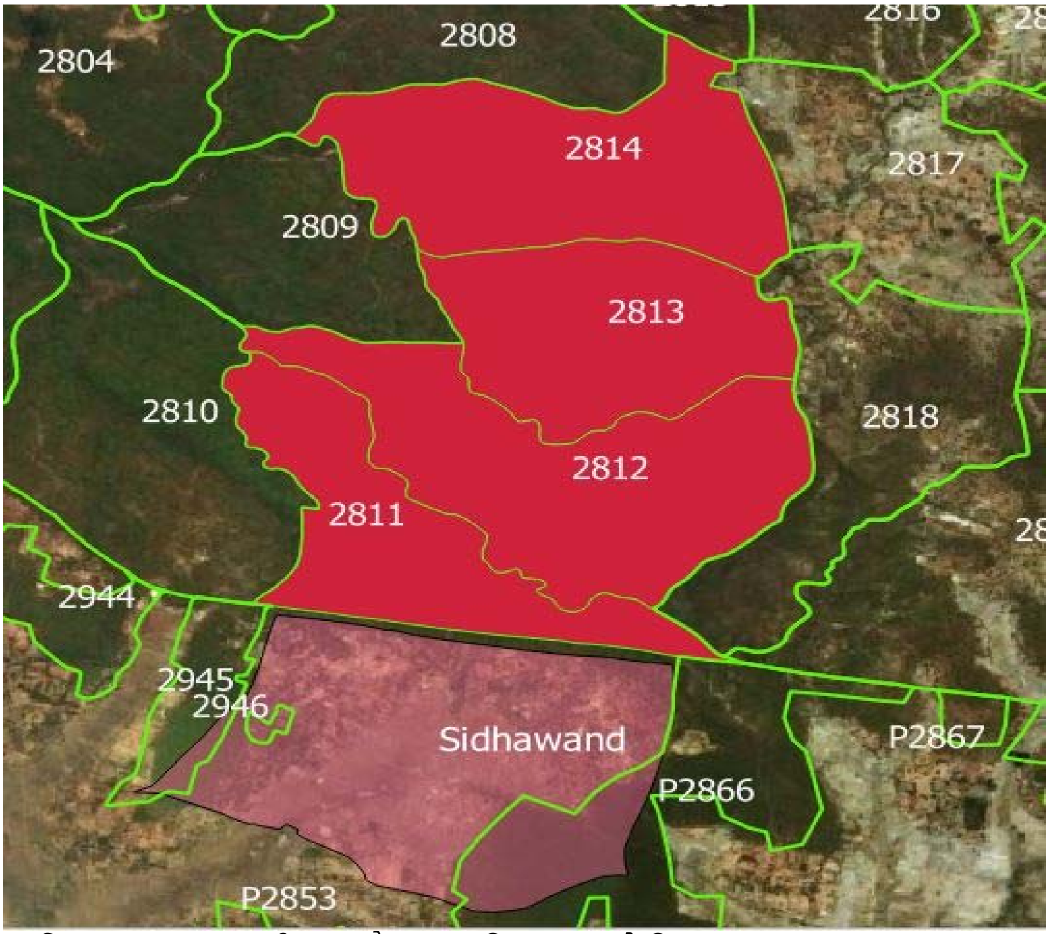

MAP-5 सिधवंड *ग्राम (गुलाबी रंग) और CR अधिकार-पत्र में दिए वनखंड (लाल रंग)*

नीचे दिए गए चित्र-6 से यह देखा जा सकता है कि सिधवंड गाँव को इसके पड़ोसी वन कंपार्टमेंट यानी 2811 को CR अधिकार-पत्र के तहत दिया गया है, लेकिन गाँव कोहकामेटा और गौरगाँव को CR क्षेत्र के रूप में अपने पड़ोसी वन कंपार्टमेंट नहीं मिले हैं यानी **कोहकामेटा के लिए** 2810 **और गौरगाँव के लिए** 2803 **और** 2801.

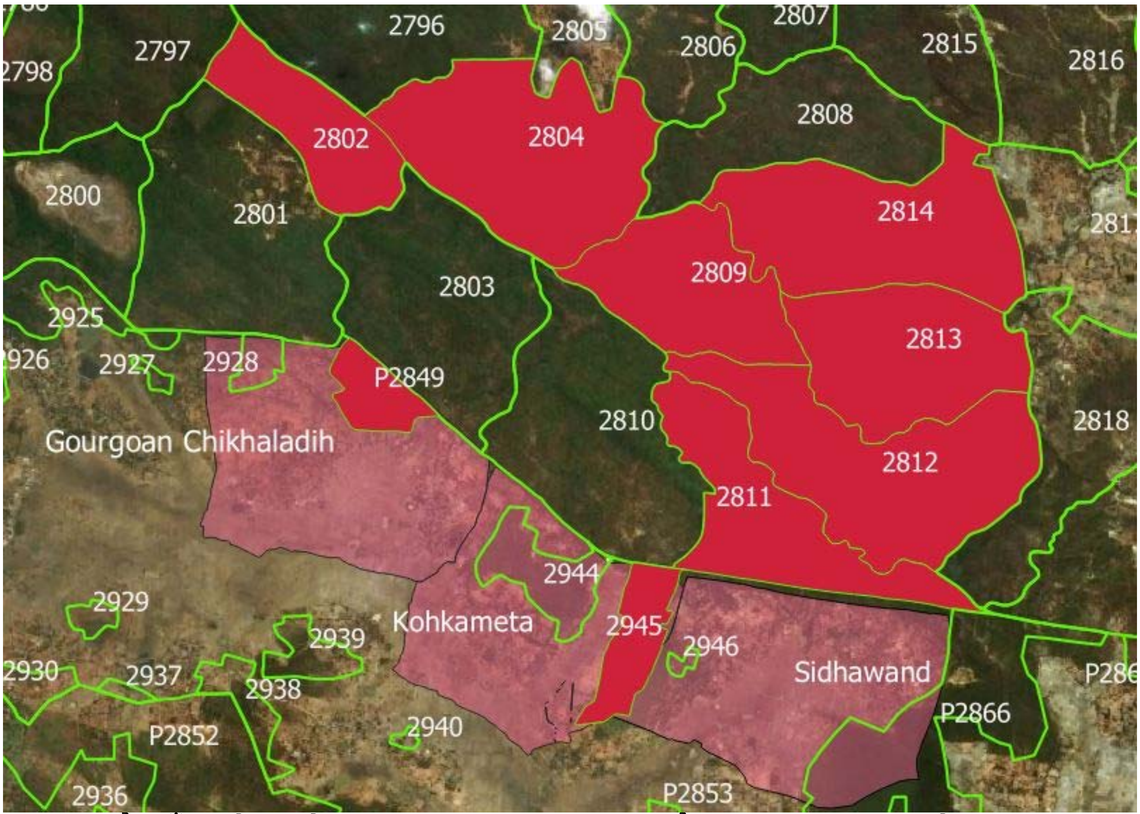

MAP-6 गौरगाँव, *कोहकामेटा व सिधवंड ग्राम (गुलाबी) और CR अधिकार-पत्र में दिए वनखंड (लाल रंग)*

2. **एक गाँव के वन दूसरे के CR क्षेत्र के रूप में मान्य: नवागढ़ और नयनार का मामला**: नवागढ़ और नयनार पड़ोसी गाँव हैं। इनमे मुख्य रूप से आदिवासी (ST) रहते हैं। उनकी राजस्व सीमा के भीतर पर्याप्त वन क्षेत्र भी है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

गाँव	कुल भौ.क्षेत्र (हे)	कुल परिवार	कुल जनसँख्या	एस सी	एस टी	वन (हे)
नवागढ़	455	178	888	65	745	150
नयनार	572	143	750	0	731	300

CR अधिकार-पत्र के मुताबिक नवागढ़ और नयनार एक कम्पार्टमेंट यानि 23 को साझा करते हैं। कम्पार्टमेंट 23 का कुल क्षेत्रफल 47 हेक्टेयर है, इसलिए तकनीकी रूप से उसी क्षेत्र को नवागढ़ के लिए चराई और NTFP संग्रहण के लिए मान्यता प्राप्त है। जबकि नयनार को कंपार्टमेंट 22 में शमशान के लिए केवल 1 हेक्टेयर और NTFP संग्रहण के लिए 18 हेक्टेयर मिला है।

प्रविष्टि क्र.	तहसील	वनखंड सं.	गाँव	सामुदायिक अधिकार	क्षेत्रफल (हे)
16	केशकाल	P 23	नवागढ़	चराई	41
17	केशकाल	P 23	नवागढ़	NTFP संग्रहण	41
18	केशकाल	P 23	नयनार	शमशान	1
24	केशकाल	P 22	नवागढ़	NTFP संग्रहण	18

लेकिन कंपार्टमेंट 23 वास्तव में नयनार की राजस्व सीमा के भीतर स्थित है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाई दे रहा है। फिर नवागढ़ गाँव के लिए इसे CR क्षेत्र के रूप में कैसे मान्यता मिली? इसके अलावा, इन दो गाँवों की सीमाओं के भीतर (जनगणना के अनुसार) जंगल का कोई उल्लेख नहीं है।

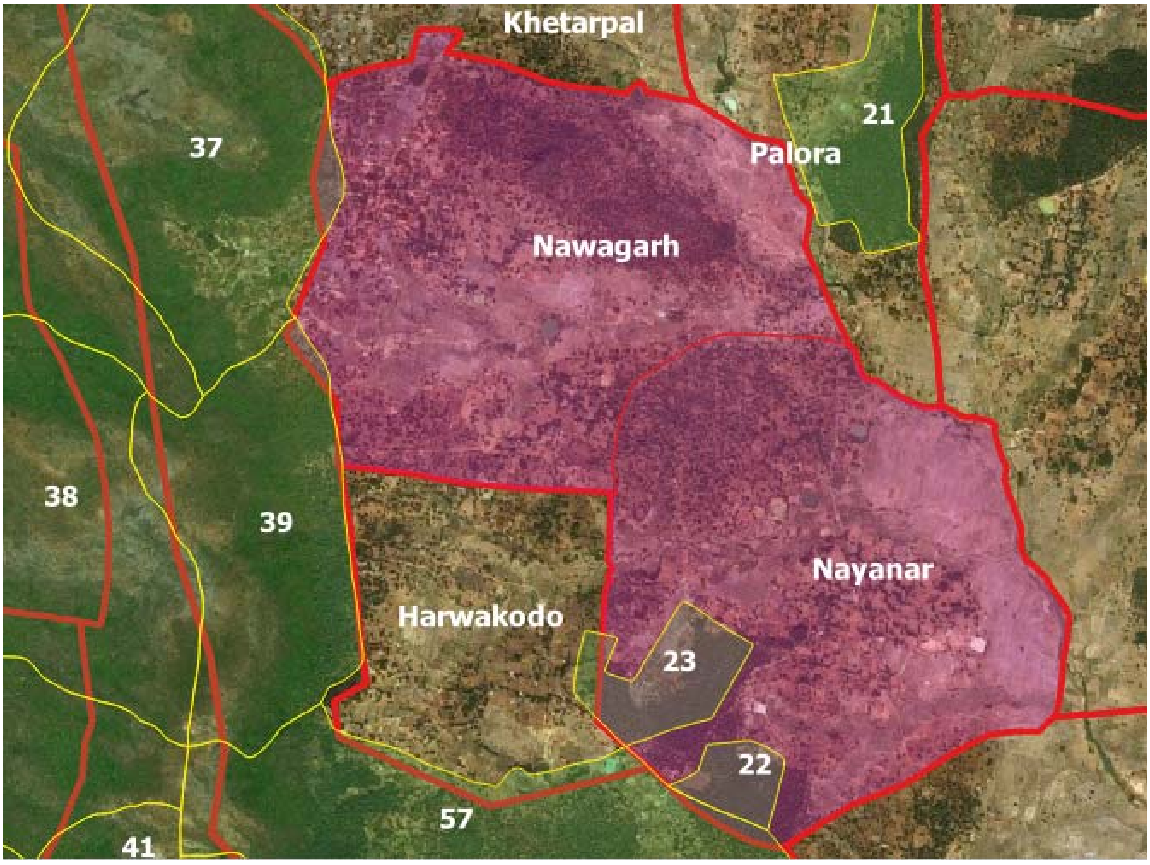

MAP-7 नवागढ़ और नयनार *ग्राम (गुलाबी रंग) और CR अधिकार-पत्र के नुसार वन खंड -23 और 22*

नवागढ़ के दक्षिण और नयनार के पूर्व में स्थित ग्राम हरवाकोड़ो सूची में बिल्कुल नहीं है। नवागढ़ गाँव अपनी गाँव की सीमा कंपार्टमेंट 37 और 39 के साथ साझा करता है। यहाँ तक कि हरवाकोडो और नयनार भी क्रमशः कंपार्टमेंट 39 और 57 के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन इन वनखण्डों को मान्य नहीं किया गया है।

5. CR क्षेत्र की इच्छानुरूप मान्यता: रावबेड़ा गाँव का मामला

रावबेड़ा सिर्फ 48 घरों (कुल आबादी 229) का एक छोटा सा गाँव है, जिनमे मुख्यतः ST है। CR क्षेत्र की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित सामुदायिक अधिकारों के लिए कई वनखण्डों को मान्यता दी गई है जिन्हें चित्र 8 में दिखाया गया है।

प्रविष्टि क्र.	तहसील	वनखंड सं.	गाँव	सामुदायिक अधिकार	क्षेत्रफल (हे)
53	केशकाल	P 2747	रावबेड़ा	चराई	337
54	केशकाल	P 2744, 2747	रावबेड़ा	NTFP संकलन	412
55	केशकाल	P 2746	रावबेड़ा	श्मशान	1
56	केशकाल	P 2725, 2749, 2748	रावबेड़ा	चराई	885
57	केशकाल	P 2746, 2726, 2725, 2749, 2748	रावबेड़ा	NTFP संकलन	1,564

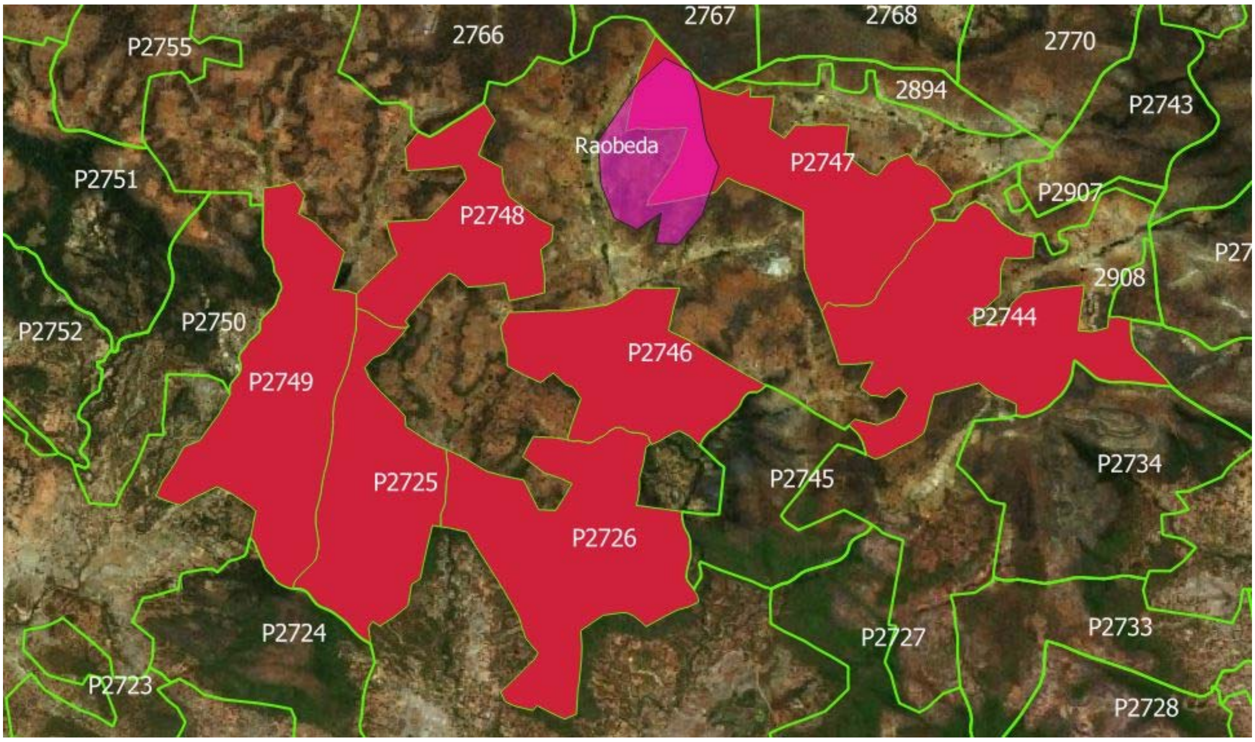

MAP-8 रावबेडा *(गुलाबी रंग) और CR अधिकार-पत्र में वनखंड (लाल)*

जैसा कि स्पष्ट है कि केवल एक कम्पार्टमेंट रावबेड़ा की ग्राम सीमा से सटा हुआ है- P2747। अन्य वनखंड गाँव से सटे नहीं हैं, जबकि उनमें से कुछ काफी दूर हैं। CR-1 क्षेत्र परंपरागत रूप से इन अन्य वनखण्डों तक विस्तारित हो सकता है लेकिन यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि रावबेड़ा के लिए मान्यता प्राप्त ये अन्य वनखंड दूसरे गाँवों की राजस्व सीमाओं में आते हैं और इन अन्य गाँवों

के CR क्षेत्र के भीतर भी हो सकते हैं (जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है), लेकिन रावबेड़ा के आसपास के इन गाँवों को कोई CR अधिकार-पत्र नहीं मिला है।

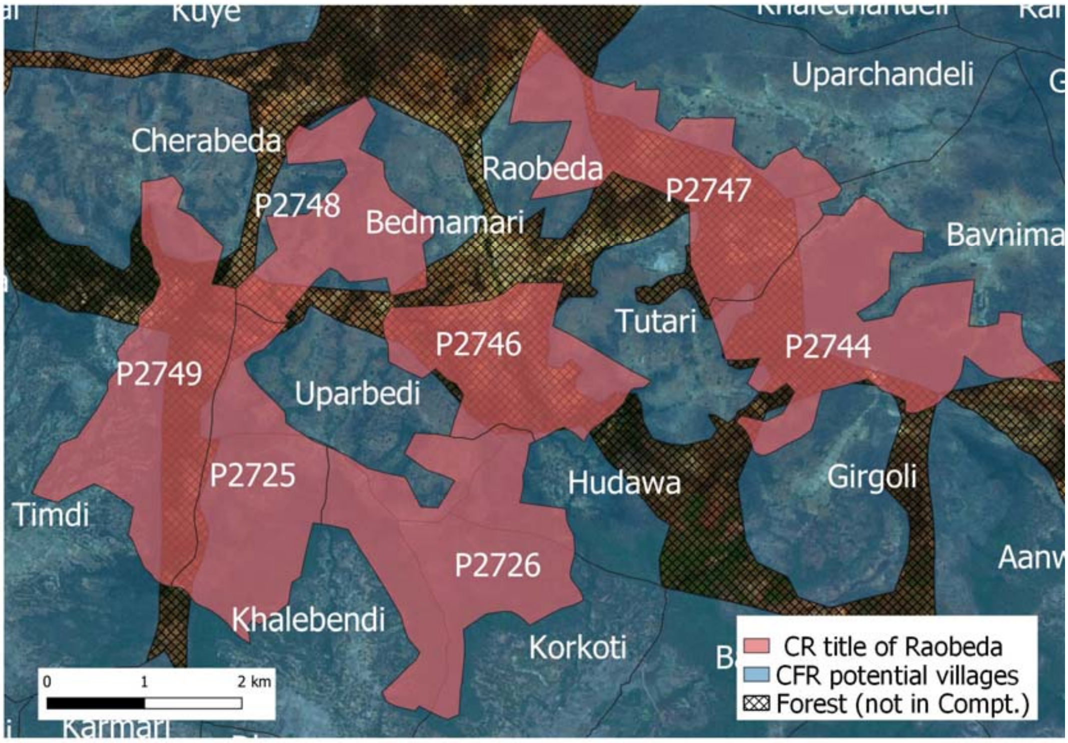

MAP-9 रावबेडा को *CR अधिकार-पत्र में दिए वनखंड (गुलाबी रंग) और इस खण्डों के इर्द-गिर्द सीएफ आरआर संभाव्य पडोसी गाँव (नीले रंग)*

4.3 जिला मुंगेली: वन ग्रामों को कोई वन क्षेत्र प्रदान नहीं किया जाना

मुंगेली जिला राज्य के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और मुंगेली, लोरमी व पथरिया की तीन तहसीलों सहित 2,750 वर्ग कि. मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले में पर्याप्त वन क्षेत्र है- 1,100 वर्ग कि. मी., जिसका अधिकांश भाग लोरमी तहसील में पड़ता है|[8] MoTA को जमा किये गए राज्य स्तर के आंकड़े कहते हैं कि मुंगेली जिले में 325 हेक्टेयर क्षेत्र में 295 सामुदायिक वन अधिकार के अधिकार-पत्र वितरित किए गए हैं। यह इंगित करता है कि प्रत्येक गाँव को बमुश्किल 1 हेक्टेयर के आस-पास CR क्षेत्र मान्य हुआ है। इसलिए इसकी जांच करने के लिए हमने मुंगेली जिले में वर्ष 2016 तक सामुदायिक अधिकार प्राप्त करने वाले गाँवों की सूची प्राप्त की। इस सूची में गाँव में मान्यता प्राप्त सामुदायिक अधिकारों के लगभग 232 प्रविष्टियां थीं। लेकिन ये 232 सामुदायिक अधिकार केवल 37 **गाँवों** के ही थे। इनमें से अधिकांश गाँव लोरमी तहसील में, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य में और उसके आसपास स्थित थे| अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। गाँवों का फैलाव नीचे दिए गए चित्र में देखा जा सकता है। सभी गाँव वन ग्राम प्रतीत होते हैं।

[8] स्रोत- https://mungeli.gov.in/en/demography/

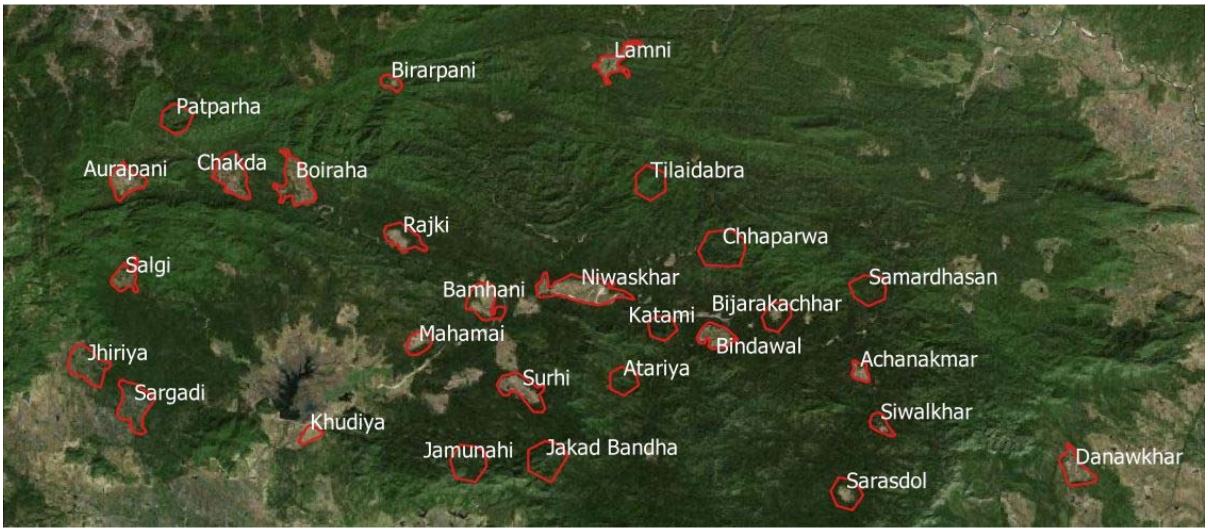

MAP-10 *अचानकमार अभ्यारण्य के समीप ग्रामों का विस्तार*

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इन गाँवों में लगभग 100% अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग निवासरत हैं, और ज्यादातर बैगा हैं। इसलिए कोई सवाल ही नहीं है कि ये ग्राम सभाएँ CR/CFRR अधिकारों के लिए पात्र हैं, और उनकी बनावट को देखते हुए वे भी काफी हद तक वन निर्भर है और इसलिए ऐसे अधिकारों के लिए उत्सुक हैं। लेकिन अधिकार-पत्र सूची की जाँच से पता चलता है कि इन गाँवों को स्कूलों, सामुदायिक भवनों, सामुदायिक केंद्रों के लिए धारा 3(2) के DR और मंदिरों, श्मशान आदि के लिए CR-2 प्राप्त हुए हैं।

इन गाँवों में उनकी सीमाओं से सटे पर्याप्त वन क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए चित्र में, चकड़ा और बोइराहा पूरी तरह वनों से घिरे है, अतः उनके सामुदायिक वन अधिकारों को निकटवर्ती वन क्षेत्रों पर मान्यता दी जानी चाहिए थी । लेकिन उन्हें CR क्षेत्र और गैर-वन उपयोग (CR-2) के रूप में क्रमशः 14.77 हे. और 6.76 हे. ही प्राप्त हुआ है। इनमें से किसी भी ग्राम समुदाय के CR-1 अधिकारों को पहले दौर में मान्यता नहीं मिली थी, इस बात के बावजूद के वे परंपरागत रूप से अपनी आजीविका के लिए जंगल पर ही निर्भर हैं।

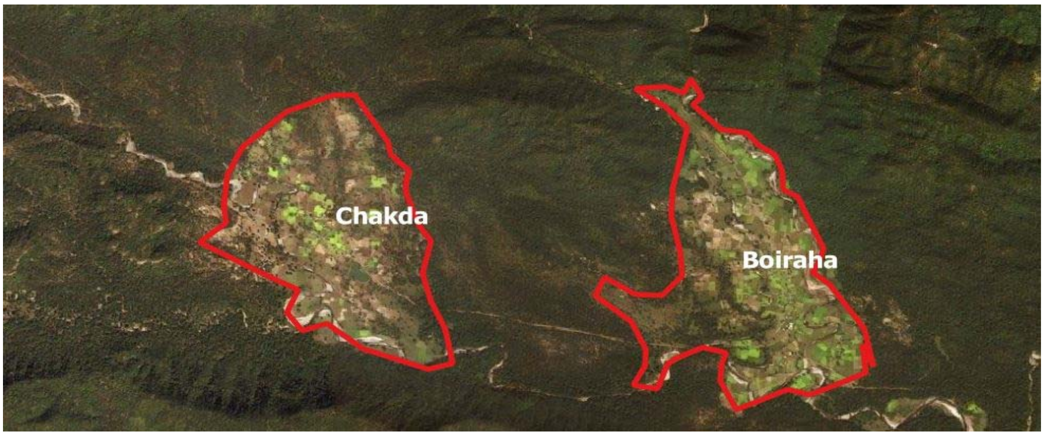

MAP-11 *चकड़ा और बोइराहा गाँव और लगा हुआ वन क्षेत्र*

संक्षेप में, सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता का वर्ष 2019 से पहले का चरण, हालांकि संख्यात्मक दृष्टि से भारी उपलब्धियाँ दिखा रहा था, पर अत्यधिक दोषपूर्ण था और जमीन पर समुदायों के लिए किसी भी सार्थक अधिकार में तब्दील नहीं हो पाया ।

5. CFRR की मान्यता: प्रगति और चुनौतियाँ

इस खंड में हम सामुदायिक वन अधिकारों की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, जिनकी मान्यता दूसरे चरण के दौरान यानि 2019 के बाद प्राप्त हुई । जैसा कि पूर्व में उल्लेख हुआ है, पहले चरण के दौरान मान्यता सिर्फ CR और DR अधिकार-पत्र पर केन्द्रित थी, दूसरा चरण (जो अभी भी चल रहा है) केवल CFRR की मान्यता पर केंद्रित है। इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए विशेष रूप से राज्य सरकार ने कुछ सकारात्मक कदम उठायें हैं, जैसे-

क) वर्ष 2020 की शुरुआत में हिंदी और फिर बाद में अंग्रेजी में भी CR और CFRR का दावा कैसे किया जा सकता है, इस पर निर्देशों के साथ एक विस्तृत मैनुअल तैयार कर प्रकाशित किया है;

ख) राजस्व, वन एवं जनजाति कल्याण विभाग के उच्च एवं मध्य-वर्गीय अफसरों (प्रदेश, जिला व ब्लाक स्तरीय) के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया है।

ग) वन विभाग ने सभी कार्य योजनाओं और वनखंड की सीमाओं की kml फाइलों को सार्वजनिक डोमेन में रखा है। जिसे अब आसानी से लोगों द्वारा दावा दायर करने के लिए देखा व उपयोग किया जा सकता है।

घ) मुख्यमंत्री कार्यालय में FRA सम्बन्धी टीम का गठन किया गया है, और हाल ही में, UNDP के सहयोग से जनजाति कल्याण विभाग में एक FRA प्रकोष्ठ भी बनाया गया है.

ङ) कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री कार्यालय से CFRR दावों की मान्यता के लिए मज़बूत बल दिया गया है.

बड़ी संख्या में जमीनी स्तर के संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के काम के साथ उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2019 के मध्य से बड़ी संख्या में CFRR दावों दायर कर मान्यता दी गई है। अगस्त 2020 तक, लगभग 1200 CFRR को मान्यता दी गई थी; अगस्त 2021 तक यह संख्या बढ़कर 3,300 तक पहुंच गई, और अक्टूबर 2021 तक, यह 4,000 अधिकार-पत्रों के पार चला गया । यह उपलब्धि उल्लेखनीय है। इसके अलावा, अधिकार-पत्रों में आमतौर पर दावा किए गए क्षेत्रों के नक्शे शामिल होते हैं या कम से कम वनखंड और खसरा संख्या का उल्लेख करते हैं, और ग्राम सभा के नाम पर जारी किए जाते हैं, जिससे पिछले चरण में हुई कुछ त्रुटियों का निवारण होता है।

CFRR मान्यता पर यह ध्यान और गति काफी सराहनीय है। उसी समय, जारी किए गए अधिकार-पत्रों के प्रारूप की हमारी जाँच और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ गाँवों में स्पष्ट रूप से विसंगतिपूर्ण पत्रों को जाँचने के लिए क्षेत्र के दौरे से संकेत मिलता है कि कई मुद्दे या कमियां अभी भी मौजूद हैं। इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता है| इससे CFRR की मज़बूत ढंग से मान्यता सुनिश्चित की जा सकेगी और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन के लिए ग्राम सभा का सशक्तिकरण हो सकेगा व भविष्य के संघर्षों से बचा जा सकेगा ।

5.1 CFRR क्षेत्र में गैर-वन राजस्व भूमि का गलत समावेश

ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण *छत्तीसगढ़ FRA मैनुअल* में उल्लिखित प्रक्रिया की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें गाँव के पूरे क्षेत्र को शामिल करने के लिए गाँव की 'परंपरागत सीमा' (पारम्परिक गाँव सीमा) का मानचित्रण किया जाता है, यानी कृषि क्षेत्र, बस्ती, सामान्य सुविधाएं और पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वन क्षेत्र। लेकिन अधिकांश कृषि भूमि, बस्ती और सामान्य सुविधाएं वन भूमि पर नहीं बल्कि निजी राजस्व भूमि या सार्वजनिक राजस्व भूमि पर वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं। ऐसे मामलों में न केवल FRA लागू नहीं होता है, बल्कि ऐसी भूमि (निजी तौर पर खेती की गई भूमि, आदि) को CFRR क्षेत्र कहना भविष्य में बेहद समस्याजनित होगा। दुर्भाग्य से, SDLC/DLC हमेशा इस समस्या के प्रति सतर्क नहीं होते हैं। हम इस घटना को कांकेर जिले के कांकेर ब्लॉक के मांदरी गाँव के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं।

MAP 12- *मांदरी गाँव की राजस्व सीमा (नीला रंग)*

जनगणना (2011) के अनुसार, गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्र (TGA) 515 हेक्टेयर है, जिसमें से 115 हेक्टेयर संरक्षित वन/नारंगी भूमि है (जनगणना डेटा) । इसकी पुष्टि ग्राम राजस्व सीमा (चित्र 12) और मढ़े गए कैडेस्ट्रल नक्शे से (चित्र 13) होती है। चित्र 13 में दिखाए कैडेस्ट्रल नक्शे से पता चलता है कि राजस्व सीमा के भीतर की अधिकांश भूमि या तो कृषि क्षेत्र या बस्तियाँ हैं, लेकिन दो वनाच्छादित टुकड़े (खसरा संख्या 8 और 87) हैं जो जनगणना तालिका के वन स्तंभ में दिए गए वन क्षेत्र को जोड़ते हैं (गाँव की राजस्व सीमा के भीतर वन भूमि)। अतः ग्राम की राजस्व सीमा के अन्तर्गत गैर वन भूमि लगभग 400 हेक्टेयर है।

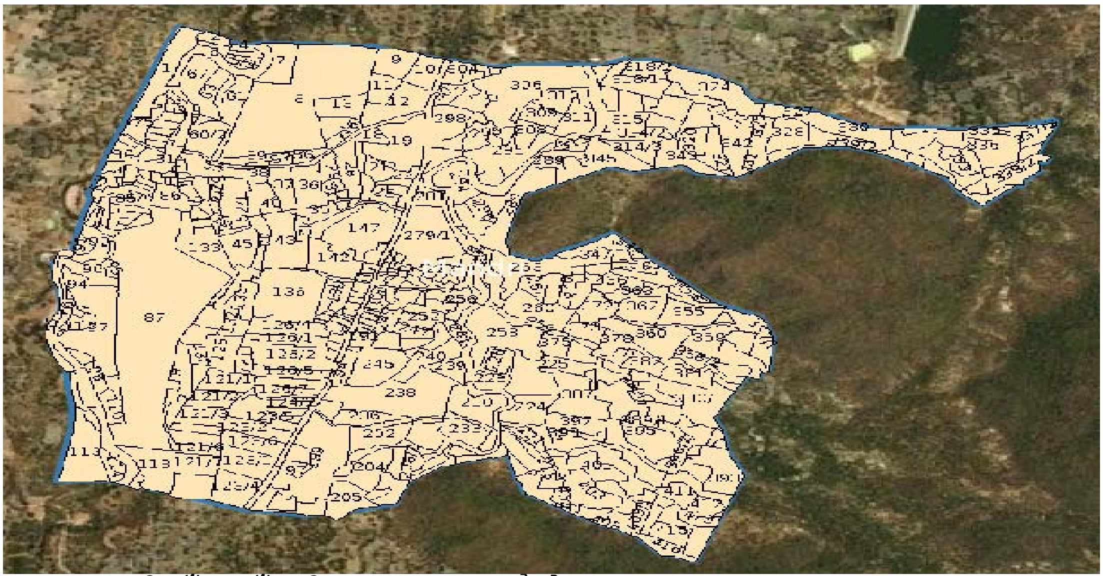

MAP-13 *मांदरी गाँव : गाँव सीमा पर मढ़ा गया कैडेस्ट्रल नक्शा*

MAP-14 *मांदरी गाँव की सीमांकित CFRR सीमा (लाल लाइन)*

हालांकि, गाँव का दावा और मान्यता प्राप्त CFRR क्षेत्र (जारी किए गए अधिकार-पत्र के अनुसार) 1154 हेक्टेयर है (चित्र 14 देखें)। जब पत्र में दर्शाई गई सीमा (जो GPS से भी प्राप्त हुई) को मानचित्र पर मढ़ा जाता है, तो हम पाते हैं कि चित्र 14 में लाल रेखा के भीतर का कुल क्षेत्रफल

वास्तव में 1154 हेक्टेयर है, लेकिन इसमें गाँव का संपूर्ण राजस्व क्षेत्र शामिल है (400 हे. गैर-वन भूमि सहित) और ग्राम राजस्व सीमा के बाहर आरक्षित वन (RF) का लगभग 639 हेक्टेयर भी शामिल है। तो सही CFRR क्षेत्र 1154 हे. में से 400 हे घटा कर 754 हेक्टेयर होगा। वास्तव में, यदि इस गाँव में कोई IFR मान्यता प्राप्त है तो इस क्षेत्र को और कम किया जा सकता है।

हमने इस पैटर्न को जारी किए गए कई अन्य CFRR अधिकार-पत्रों में देखा है। इसके विपरीत, चूंकि ग्रामीणों का यह भी मानना है कि CFRR गाँव की संपूर्ण पारंपरिक भूमि पर फैला हुआ है (केवल वन भूमि नहीं), इसलिए जब DLC ने सतर्क होकर दावा किए गए CFRR क्षेत्र से गैर-वन राजस्व भूमि (और IFR मान्यता प्राप्त क्षेत्र) को अलग कर लिया, ग्रामीणों ने (अपनी ग़लतफ़हमी के कारण) सरकार द्वारा अपने दावा किए गए क्षेत्र से 'कम' मान्य किये जाने पर असंतोष और गुस्सा व्यक्त किया ।

5.2 CFRR क्षेत्र की मान्यता दावे या स्वीकार्य वनक्षेत्र से कम

कुछ मामलों में मान्यता प्राप्त CFRR क्षेत्र दावा किए गए क्षेत्र से कम है। हमने यहाँ बलेंगा गाँव के मामले पर विचार किया। कोंडागाँव जिले के बडेराजपुर तहसील के बलेंगा गाँव में 598 हेक्टेयर वनक्षेत्र में CFRR मान्यता मिली है, जिसमें पीएफ 314, पीएफ 316, पीएफ 313 (पीला) वनखंड शामिल है (चित्र 15 देखें)। हालांकि, गाँव द्वारा दावा किया गया कुल CFRR क्षेत्र 1699 हेक्टेयर था। यहाँ तक कि 2011 की जनगणना भी इंगित करती है कि गाँव की राजस्व सीमा के भीतर कुल वन क्षेत्र 1483 हेक्टेयर है। राजस्व सीमा के भीतर के जंगल को आमतौर पर उस गाँव का पारंपरिक/प्रचलित जंगल माना जाता है। वनखंड 318 और 321 (पूर्णतः), और 305 और 317 (आंशिक रूप से), गाँव की राजस्व सीमा (लाल) के भीतर आते हैं (चित्र 15 देखें)। ये वनखंड पारंपरिक उपयोग के क्षेत्र भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं दी गई है। ग्राम सभा को कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्यों कम रकबे को मान्य किया गया है, न ही उन्हें अपने दावे को संशोधित करने या जिला स्तरीय समिति (DLC) के निर्णय पर अपील करने का मौका दिया गया.

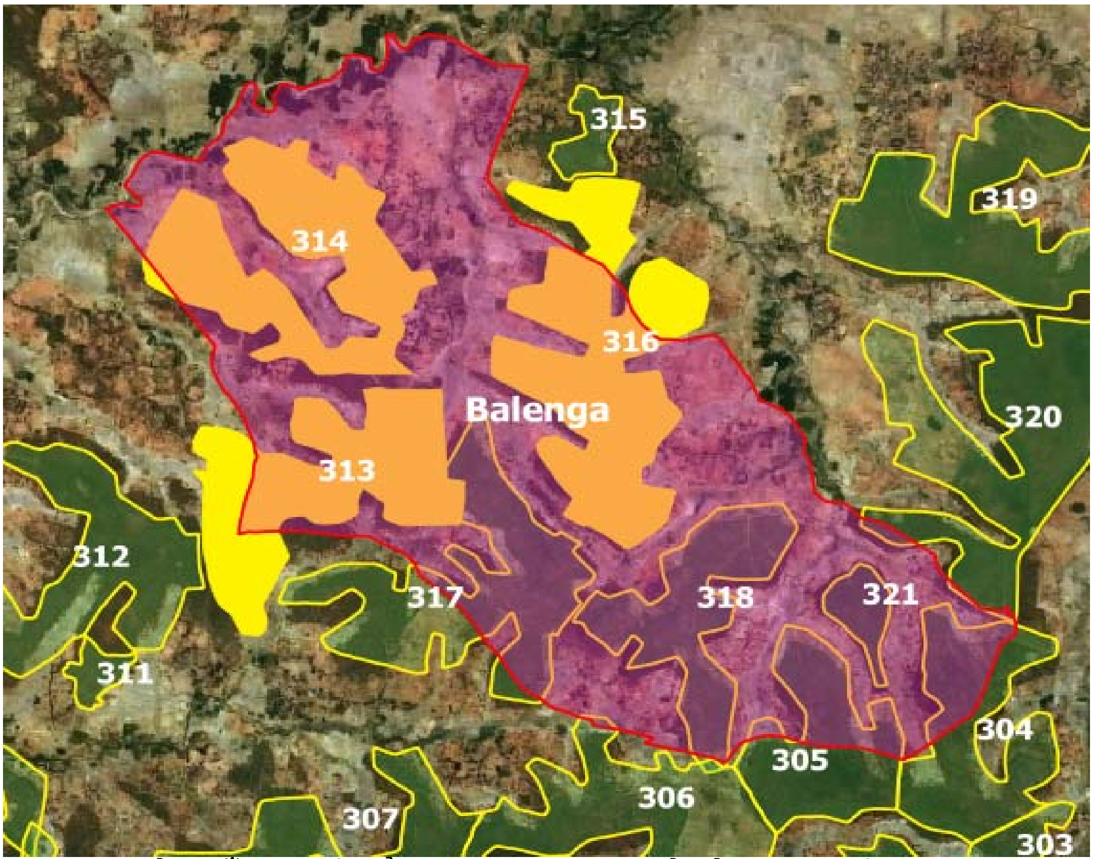

MAP-15 *बलेंगा गाँव (गुलाबी) और मान्यता प्राप्त CFRR क्षेत्र के वनखंड (पीला)*

बस्तर जिले के दरभा ब्लाक के चितापुर गाँव का मामला तो और भी अजीब है| राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (टीजीए) 2305 हेक्टेयर है और 2011 की जनगणना के अनुसार इस सीमा के भीतर वन क्षेत्र 792 हेक्टेयर है। गूगल अर्थ इमेजरी का अवलोकन इस बात की पुष्टि करता है कि गाँव में कई सौ हेक्टेयर वन क्षेत्र है (चित्र 16) और वनखंड का नक्शा (नहीं दिखाया गया) भी इसकी पुष्टि करता है। हालांकि, केवल 22 हेक्टेयर को उनके CFRR क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी।

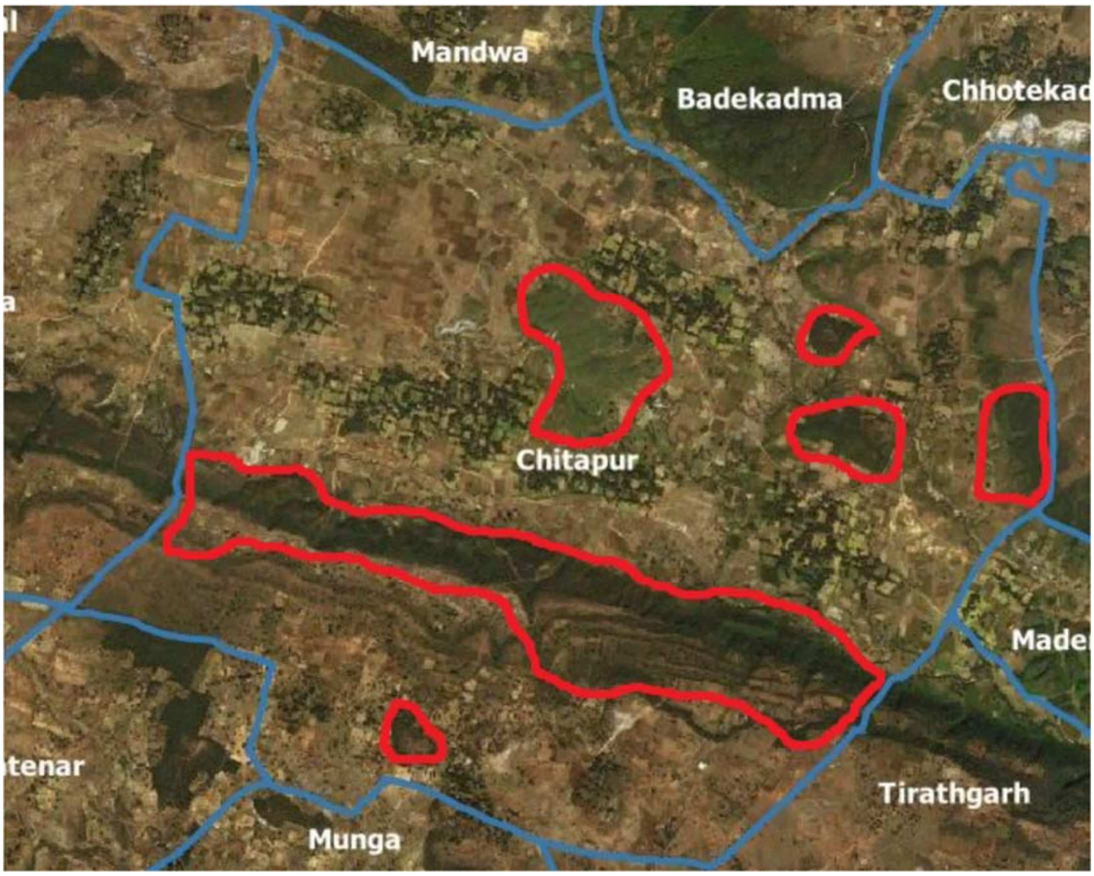

MAP-16 *चीतापुर गाँव की राजस्व सीमा (नीला) तथा ग्राम सीमा के अंदर वन क्षेत्र (लाल रंग)*

गाँव का दौरा करने पर हमें ग्रामीणों ने बताया कि वास्तव में गाँव ने CFRR दावा दायर नहीं किया था, क्योंकि हाल ही में राजस्व गाँव को 2 ग्राम पंचायतों में विभाजित करने के परिणामस्वरूप गाँव के भीतर संघर्ष हुआ था। और, एक ग्राम पंचायत ने मूल (राजस्व) गाँव का अधिकांश वन क्षेत्र प्राप्त कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि CFRR मान्यता पर प्रगति दिखाने के दबाव में कुछ अधिकारियों द्वारा 'दावा' भरा गया था। बाद में हमारे द्वारा ऐसे कई मामलों की पहचान की गई है जहाँ CFRR दावों को गाँव के भीतर किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने (आमतौर पर कम) क्षेत्रों के लिए दायर किया गया और जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा मान्यता दी गयी है।

5.3 पड़ोस के गाँव की पारम्परिक सीमा में से CFRR क्षेत्र का आवंटन

कुछ मामलों में CFRR क्षेत्र का गलत आवंटन की वजह से ग्राम के भीतर द्वन्द उत्पन्न हुआ है| यह कोंडागाँव जिले के फरसगाँव ब्लाक के दो गाँव सोधमा और करागाँव का मामला है| CFRR मान्यता के दूसरे दौर में सोधमा गाँव ने अपने CFRR क्षेत्र की 713 हेक्टेयर क्षेत्र में मान्यता प्राप्त की। हमारे पास जो सूची थी, उसके अनुसार कंपार्टमेंट क्रमांक 106, 107 और 217 थे। जैसा कि हम नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं कि कंपार्टमेंट क्रमांक 106 और 107 सोधमा गाँव के पास कहीं भी नहीं हैं, इसके बजाय 206 और 207 होने चाहिए (कम्पार्टमेंट क्र. 106 और 107 गाँव से 15 किमी दूर हैं) । गाँव के लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की ।

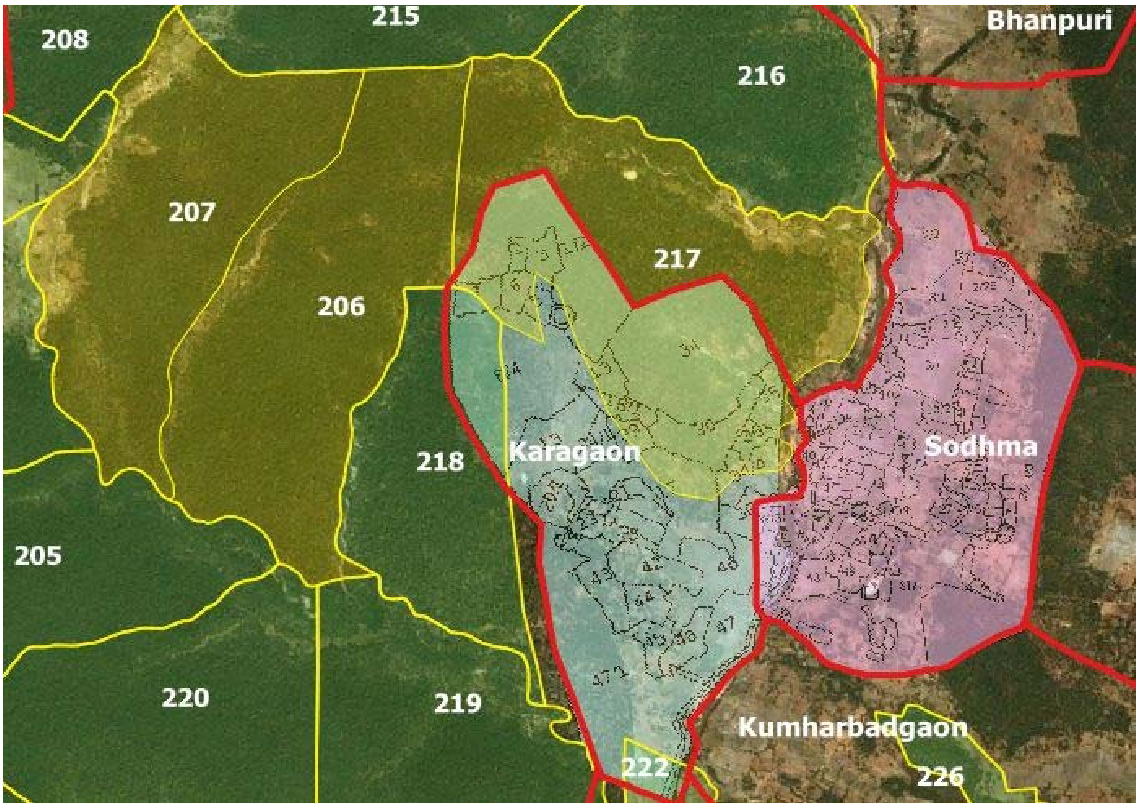

MAP-17 *सोधमा गाँव (गुलाबी), करागाँव गाँव (नीला), सोधमा के CFRR क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त वनखंड (पीला)*

यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि (जैसा चित्र-17 में दिख रहा है) सोधमा गाँव के लिए मान्यता प्राप्त CFRR क्षेत्र में कम्पार्टमेंट क्रमांक 207, 206 और 217 शामिल हैं। सोधमा गाँव कंपार्टमेंट क्रमांक 217 के साथ केवल एक छोटी सी सीमा साझा करता है और अन्य दो वनखंड सोधमा गाँव से 2 से 4 किलोमीटर दूर हैं। जबकि कारागाँव गाँव की राजस्व सीमा के भीतर आधे से अधिक कम्पार्टमेंट 217 है, जैसा कि ऊपर देखा गया है और यह कंपार्टमेंट संख्या 206 और 207 के करीब है। इस प्रकार सोधमा को इन वनखण्डों को देने से इन दो गाँवों के भीतर विवाद पैदा हो गया है, जिसमें करागाँव नुकसान में है।

इसके अतिरिक्त 218 को छोड़कर अन्य सभी लगे हुए वनखंड को अन्य गाँवोंगाँवों के CFRR क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है (चित्र 18 देखें)। इस प्रकार करागाँव के लिए केवल कम्पार्टमेंट क्र. 218 और कम्पार्टमेंट क्र. 216 (जो बगल में नहीं है) को छोड़कर दावा किया जाना है। दावा दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच और फील्ड स्थल पर जाने की ज़रूरत है। यह दावा करने और मान्यता प्रक्रिया पर भी सवाल उठाता है। सोधमा के लिए 217 और अन्य वनखण्डों का दावा करते समय क्या करागाँव से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त नहीं की थी? क्या होगा यदि करागाँव इन वनखण्डों पर सामुदायिक अधिकारों के दावे करता है? कतिपय स्रोतों द्वारा हमें बताया गया इस मुद्दे की जड़ें JFMC के लिए मनमानी तौर पर आवंटित किये गए वनखण्डों से जुडी है| इसकी तहकीकात कर हल किया जाना जरुरी है|

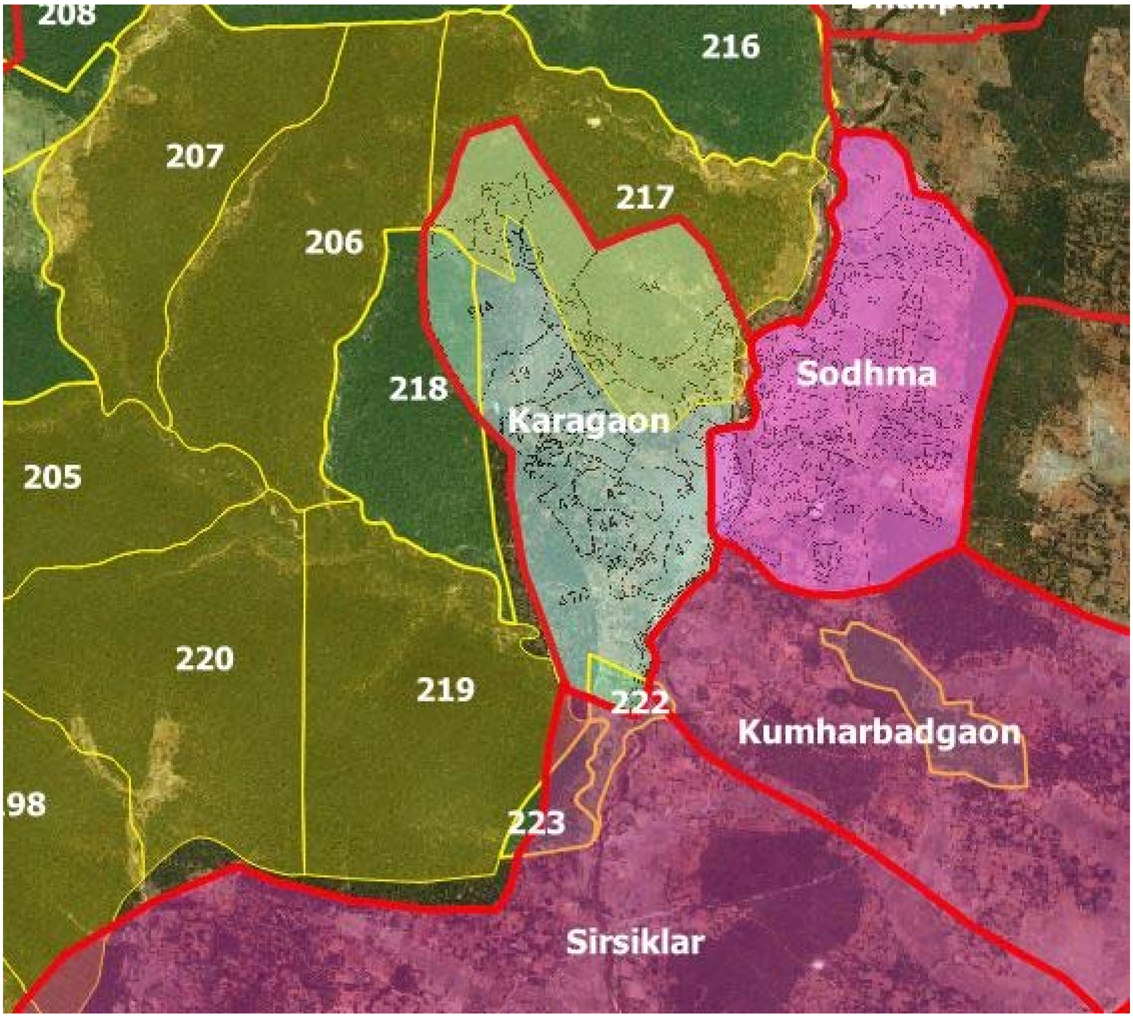

MAP-18 *मान्य CFRR गाँव (गुलाबी) और उनके वनखंड (पीला)*

5.4 संरक्षित क्षेत्रों में CFRR मान्यता

संरक्षित क्षेत्रों में CFRR मान्यता हमेशा कठिन रही है| इस सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की प्रगति प्रशंसनीय है| धमतरी जिले के सीतानदी-उदंती टाइगर रिजर्व में इस संरक्षित क्षेत्र के कोर और बफर के गाँव वर्षों से अधिकारों की मान्यता के लिए संघर्षरत रहे है। शुरुआत में केवल करका गाँव को वर्ष 2020 में अपने CFRR क्षेत्र की मान्यता मिली थी। हाल ही में, कोर इलाके के पांच गाँव- मासुलखोई (975.58 हे), करही (984.92 हे), जोरातराई (551.42 हे), बहीगाँव (1651.725 हे) और बारोली (1389.615 हे) के CFRR मान्य हुए हैं।

लेकिन मुंगेली जिले के अचानकमार अभयारण्य में कोई प्रगति नहीं हुई है । वर्ष 2019-20 के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कुछ गाँवों के लिए CFRR दावे दाखिल कराने के प्रयास किया था (भाग 4.3 में इसका उल्लेख है) । लेकिन इन दावों को यह कहकर स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि गाँव टाइगर रिजर्व में स्थित है और वहाँ अधिकारों को मान्यता नहीं दी जा सकती है। जनजातीय विभाग से संपर्क करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वे इसे वन विभाग के हवाले कर रहे

हैं ("वन विभाग जो भी कहता है")। वर्तमान में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है। केवल कुछ IFR दावों को स्वीकार किया गया है।[9]

5.5 नगरीय क्षेत्रों में CFRR मान्यता

छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन अधिकार मान्यता का दूसरा चरण देश में पहली बार किसी शहरी निकायों में CFRR की मान्यता का प्रतीक है। अगस्त 2021 में धमतरी जिले के नगरी नगर पंचायत में तीन वार्डों को CFRR की मान्यता दी गई: वार्ड सभा नगरी के लिए 707.41 हेक्टेयर, वार्ड सभा चुरियारा के लिए 67,818 हेक्टेयर और वार्ड सभा तुमबाहारा के लिए 2,746.742 हेक्टेयर (मिश्रा 2021) ।

हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 58 नगरीय क्षेत्र हैं जिनके पास कुछ वन क्षेत्र हैं और इसलिए CFRR क्षेत्रों पर दावा करने की क्षमता रखते है। उनकी मान्यता के लिए भी अब कदम उठाने की ज़रुरत है।

5.6 CFRR मान्यता: वास्तविक और संभावित

जैसा कि पहले के भागों में देखा गया है, CR और CFR के तहत दावा किए गए क्षेत्र की रिपोर्टिंग काफी त्रुटिपूर्ण है। इसलिए अब तक CFRR के तहत मान्यता प्राप्त क्षेत्र का रकबा निर्धारित करने के लिए, हम केवल उन गाँवों पर विचार करेंगे, जिन्हें दूसरे चरण के दौरान लिया गया था। हमने प्रति जिले के गाँवों की एक सूची तैयार की जिन्हें अगस्त 2021 तक अपने CFRR अधिकार-पत्र प्राप्त किए थे और इसकी तुलना हमारे अध्ययन से CFRR संभाव्य डेटा से की थी (लेले, खरे और मोकाशी 2020)।

[9] नरेश बुनकर के साथ बातचीत के आधार पर

क्र.	जिला	जारी किये गए अधिकार-पत्रों की संख्या	CFRR संभाव्य गाँव	मान्यता प्राप्त गाँव का प्रतिशत
1	बालोद	9	261	3.4%
2	बलोदाबाज़ार	60	286	21.0%
3	बलरामपुर	354	596	59.4%
4	बस्तर	216	394	54.8%
5	बेमेतरा	आंकड़े नहीं	5	
6	बीजापुर	297	565	52.6%
7	बिलासपुर	34	245	13.9%
8	दंतेवाडा	77	179	43%
9	धमतरी	110	346	31.8%
10	दुर्ग	आंकड़े नहीं	6	
11	गरियाबंद	94	495	19%
12	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	59	200	29.5%
13	जांजगीर-चाम्पा	18	217	8.3%
14	जशपुर	12	602	2%
15	कबीरधाम	14	402	3.5%
16	कांकेर	345	955	36.1%
17	कोंडागाँव	166	534	31%
18	कोरबा	135	597	22.6%
19	कोरिया	98	581	16.9%
20	महासमुंद	54	708	7.6%
21	मुंगेली	9	75	12%
22	नारायणपुर	0	368	0
23	रायगढ़	295	800	36.9%
24	रायपुर	आंकड़े नहीं	36	0
25	राजनांदगाँव	116	769	15.1%
26	सुकमा	216	367	58.9%
27	सूरजपुर	277	462	60%
28	सरगुजा	238	399	59.7%
	कुल योग	3,303	11,450	28.9%

तुलना दिखाती है कि संख्यात्मक आधार पर उत्तर के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जैसे जिले, और दक्षिण में सुकमा,बस्तर और बीजापुर जिलों में CFRR प्राप्त गाँवोंगाँवों की संख्या CFRR पा सकने वाले गाँव के 50% से अधिक है|[10] दूसरी तरफ, कबीरधाम, जशपुर, बालोद और महासमुंद जैसे जिलों में प्रगति बेहद धीमी है, जहाँ मान्यता प्राप्त गाँवों की संख्या, CFRR की संभावना वाले गाँव का मुश्किल से 1 से 8 प्रतिशत है।

[10] यह मान लिया गया है कि प्रत्येक सीएफआरआर अधिकार-पत्र एक जनगणना/राजस्व गाँव से मेल खाता है और एक राजस्व गाँव के अलग-अलग पारा/मोहल्ला/बस्ती ने अलग-अलग दावा नहीं किया है।

6. सार और अनुशंसाएँ-

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की रिपोर्टतथा समाचार पत्रों का दावा है कि राज्य देश में सामुदायिक वन अधिकारों के कार्यान्वयन में अग्रणी है। 40,000 से अधिक संख्या की बात बताई जा रही है। यह संख्या अधिकतर प्रथम चरण में **मान्य किये गए CR** से सम्बंधित है, **लेकिन इस दावे के साथ कई समस्याएँ है।**

क) सबसे पहले, यह संख्या पूरी तरह से भ्रामक है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 11,000 गाँव ऐसे हैं जिनके भीतर वन है, या वनक्षेत्र से सटे हैं अथवा जिनके आस-पास वन हैं।[11]. अतः 40,000 से अधिक CR मिलने का दावा गलत है| हमारे विश्लेषण से ज़ाहिर होता है कि दोहराई गई प्रविष्टियां इसका एक प्रमुख कारण हैं । साथ-साथ एकाधिक सामुदायिक वन उपयोग अधिकार (चराई, जलावन संकलन, NTFP संग्रहण– जिसे हमने CR-1 कहा है) और गैर-वन उपयोग अधिकारों (जिसे हम CR-2 कहते है, और संभवतः DR) का एक ही गाँव के नाम से अलग-अलग अधिकार-पत्र दिए जाने से प्रविष्टियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। एक ही जमीन के टुकड़े पर अनेक अधिकार है और अधिकार-पत्रों की गणना से 40,000 के गलत आंकड़े की घोषणा की जा रही है । वास्तव में इस प्रक्रिया में शामिल गाँवों की संख्या वनों पर निर्भर गाँवों की संख्या से भी कम है ।

ख) दूसरा मुद्दा यह है कि इन CR को सौंपने की प्रक्रिया अत्यधिक समस्याग्रस्त रही है । कई अधिकार पत्र गलत निकाय को सौंपे गए हैं और स्पष्ट रूप से ऊपर से नीचे दृष्टिकोण अपनाते हुए दिए गए है । कई गाँवों में अधिकार-पत्र वन उपयोग के वास्तविक पैटर्न से असंबंधित हैं, और कई मामलों में वनखण्डों को काफी मनमाने ढंग से सौंपा गया है। तथ्य यह है कि ग्रामीणों को अपने गाँव के लिए मान्यता प्राप्त CR के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यह संख्या-केंद्रित CR मान्यता प्रक्रिया की व्यर्थता को दर्शाता है।

ग) तीसरा, गाँव में अधिकारों को दिए जाने की गलत प्रक्रिया आगे चलकर द्वन्द्व पैदा करने की सम्भावना रखती है ।

इस सन्दर्भ में, हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य को-

(1) प्रथम चरण में अपनाई गयी पूरी CR प्रक्रिया को गैरभरोसेमंद समझा जाय ।

(2) सभी CR के सभी विवरणों को सार्वजानिक तौर पर उजागर रखें ।

(3) CR-1 (वन उपयोग) व CR-2 (गैर-वन उपयोग) और DR (वन व्यपवर्तन) अधिकारों को अलग करके आंकड़ों को कड़ाई से दोबारा संकलित करें ।

(4) दूसरे चरण (CFRR मान्यता) के पूरा होने तक इन CRs के संचालन को स्थगित रखें; और फिर,

---

[11] लेले, खरे और मोकाशी (2020) देखें

(5) इस बात पर विचार करें कि इन CR को कैसे (यदि बिल्कुल भी) ठीक किया जा सकता है और CFRR के पूरक के रूप में बनाया जा सकता है (संभवतः CFRR मान्यता के दौरान ही CR पत्रों को सुधारकर)।

छत्तीसगढ़ में **वास्तविक उपलब्धि** वर्ष 2019 के बाद शुरू की गई CFRR मान्यता की प्रक्रिया रही है। यह प्रक्रिया FRA के सामुदायिक अधिकार प्रावधानों की भावना के अनुरूप **सार्थक और प्रासंगिक** होने की बहुत अधिक आशा बंधाती है। पहली बात यह है कि यह प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों (धारा 3(1)(झ)), यानि वन संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के अधिकारों पर केंद्रित है। इसके अलावा, प्रक्रिया एक विस्तृत और व्यवस्थित मैनुअल पर आधारित है और नीचे से ऊपर की ओर दावा-निर्माण की सख्त प्रक्रिया का पालन किए जाने के कई उदाहरण देती हैं। राज्य सरकार अब दावा करती है कि इस चरण में 4,000 से अधिक CFRR अधिकारों को उतने ही गाँवों में मान्यता दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है (हालांकि पूर्ण CFRR क्षमता लगभग 10,500-11,000 गाँवों की है)। FRA में इस प्रावधान की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए एक टाइगर रिजर्व और एक नगर वार्ड में CFRR को मान्यता देने के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

जबकि CFRR पर ध्यान केंद्रित करने और दृढ मान्यता की दिशा में उठाए गए कई कदम प्रशंसनीय रहे हैं, लेकिन, इस चरण में फिर से खामियाँ आ गई हैं।

क) एक छोटी सी समस्या यह है कि, जब ग्रामीण CFRR दावा क्षेत्र का नक्शा बनाते हैं, तो दावा किया गया (और मान्यता प्राप्त) क्षेत्र अक्सर कृषि और अन्य (गैर-वन) भूमि सहित गाँव की पूरी रूढ़िजन्य सीमा का क्षेत्र होता है, जिस पर अधिकारों की मान्यता न तो आवश्यक है और न ही संभव है। इसने CFRR क्षेत्र के रूप में दिखाए जा रहे क्षेत्र को बढ़ा दिया है और आगे चल कर सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र प्रबंधन में समस्याएं पैदा करने की क्षमता रखता है।

ख) इससे भी बड़ी समस्या यह है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि यह चरण भी संख्याओं पर अत्यधिक ध्यान देने के खतरों का शिकार हो गया है। नौकरशाही पर अधिकारों को जल्दी से मान्य करने के दबाव ने फिर से ऊपर से नीचे की प्रक्रिया को जन्म दिया है। ऐसे कई मामलों में मान्यता प्राप्त क्षेत्र **गाँव के पारंपरिक उपयोग के क्षेत्र की तुलना में बहुत कम** प्रतीत होता है। इसके अलावा, भले ही मान्यता प्राप्त वन क्षेत्र कुछ हद तक सही है, एक नीचे से ऊपर की ओर की प्रक्रिया की कमी का मतलब है कि ग्रामीणों को संगठित नहीं किया गया है, और वे मान्यता प्राप्त अधिकारों के महत्व से अनजान हैं (अक्सर इस बात से **बिलकुल ही अनजान हैं कि उनके गाँव के नामे से अधिकार-पत्र जारी किया गया है**) । इसलिए केवल संख्या पर केन्द्रित ऊपर-से-नीचे की ओर चलाई जानेवाली प्रक्रिया द्वारा अधिकारों की मान्यता से न समुदाय में संगठन तैयार हो सकता है और न ही **सार्थक वन प्रबंधन की संभावना नहीं है**, जो कि CFRR मान्यता का उद्देश्य है।

इस संदर्भ में, हम राज्य सरकार के लिए सिफारिश करते हैं कि-:

i) लक्ष्य-उन्मुख दृष्टिकोण से पीछे हटना चाहिए, और दृढ, नीचे से ऊपर संचालन व दावा प्रक्रिया पर अपना मूल ध्यान बनाए रखें, जिससे समुदाय के स्तर पर नेतृत्व मज़बूत होगा और दीर्घकालीन सामुदायिक वन प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा;

ii) अब तक मान्यता प्राप्त CFRR अधिकार-पत्र के बारे में सभी जानकारी (दावा सीमाओं की GPS फाइलों सहित) सार्वजानिक रखें,

iii) संभावित दोषपूर्ण अधिकार-पत्रों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें, जिसके अधीन यदि ज़रूरी हो तो अधिकार-पत्रों का क्षेत्र सत्यापन और सुधार किया जा सकता है;

iv) स्पष्ट करें कि CFRR के रूप में दावा किया जाने वाला 'रूढ़िजन्य क्षेत्र' केवल FRA में परिभाषित वन भूमि से संबंधित है, न कि पहले से ही मान्यता प्राप्त निजी या सार्वजनिक गैर-वन भूमि से (जैसा कि मांदरी गाँव के मामले में), और ऐसे दोषपूर्ण अधिकार-पत्रों को ठीक करें,

v) दावा करने की ज़मीनी स्तर की प्रक्रिया को मजबूत करें-

- वास्तविक जमीनी स्तर के गैर सरकारी संगठनों और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और इसके द्वारा

- ब्लाक-स्तर पर पूर्णकालिक FRA समन्वयकों की नियुक्ति करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और फिर उन्हें प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम समुदायों की क्षमता का निर्माण करने के लिए समय और तकनीकी सहायता देना;

vi) भविष्य की कठिनाइयों से बचने के लिए सटीकता और उचित प्रक्रिया दोनों के लिए तथा CFRR दावों की दृढ़ता से जांच करने के लिए SDLC और DLC सदस्यों को फिर से प्रशिक्षण देना,

vii) हाल ही में एकल राजस्व गाँवों (अक्सर पारम्परिक गाँवों) का दो ग्राम पंचायतों में विभाजन किया जाना (जैसा कि चितापुर के मामले में) सामुदायिक वन प्रबंधन की दृष्टि से प्रतिकूल है। अतः पुरानी (परम्परागत या संयुक्त) ग्रामसभा द्वारा दावों को दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, यदि वे चाहें तो,

viii) CR अधिकार-पत्रों की त्रुटियाँ हटाकर सुधार करने के लिए CFRR प्रक्रिया का उपयोग करें, विशेष तौर पर:

- परंपरागत वन उपयोग क्षेत्रों की सही पहचान की जाय,

- CR-1 और CR-2/ DR अधिकारों के बीच अंतर को ध्यान में रखें तथा इस संभावना का भी ध्यान रखें कि CR-1 अधिकार (वन उपयोग अधिकार) CFRR क्षेत्र (वन प्रबंधन अधिकार क्षेत्र) से अधिक क्षेत्र में विस्तारित हो सकते हैं,

- यह ध्यान में रखें कि एक गाँव के CR-1 अधिकार दूसरे गाँव के CFRR के साथ अतिव्याप्त (एक ही जगह पर मिले हुए) हो सकते हैं, और इसलिए जहाँ लागू हो, पड़ोसी गाँवों के वन तक पहुँच के अधिकारों का उल्लेख प्रत्येक गाँव के CFRR अधिकार-पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए ।

ix) सुनिश्चित करें कि संरक्षित क्षेत्र (PA) और नगर वार्डों में CFRR की मान्यता अब तक के दो मामलों से आगे बढ़ते हुए जारी रहे और सभी ऐसे PA व नगर वार्डों तक अपनाई जाएँ, जिनमें वन शामिल हैं या जिनके आसपास वन हो ।

x) सामान्य तौर पर, सुनिश्चित करें कि CFRR मान्यता प्रक्रिया अपनी पूर्ण संभावित संख्या और क्षेत्र तक हर हाल में पहुँचती हो।

अंत में, बहुत अधिक शोध, चर्चा, अनुप्रयोग और नीति विकास की आवश्यकता होगी:-

• ताकि सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन के लिए उचित मॉडल या टेम्पलेट विकसित किया जा सके,

• पहले से मौजूद NTFP कार्यक्रमों को सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त ग्राम सभाओं के प्रति जवाबदेह बनाकर CFRR मान्यता के बाद आजीविका में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके,

• FRA के संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास प्रावधानों के दृढ कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए (देखें लेले व अन्य 2020)

• ताकि मान्यता के बाद के परिदृश्य में प्रमुख लाइन विभागों, विशेष रूप से वन विभाग की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और जवाबदेही को स्पष्ट स्पष्ट किया जा सके।

छत्तीसगढ़ राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में वन अधिकार अधिनियम के सामुदायिक अधिकार प्रावधानों की भावना के प्रति एक प्रशंसनीय प्रतिबद्धता दिखाई है। संख्या पर ध्यान देने के बजाय CFRR की प्रक्रिया को अधिक समर्थन देकर CFRR के विस्तार पर यदि ध्यान केन्द्रित किया जाता है तो लंबे समय में वन-निवासरत समुदायों और स्वयं वनों के कल्याण के संदर्भ में बहुत अधिक सफ़लता मिलेगी।

आभार-

हम छत्तीसगढ़ वन अधिकार मंच के सदस्यों द्वारा दी गई सहायता के लिए आभार प्रकट करते हैं| आपने हमारे साथ ऐसे समय पर डेटा साझा किया जब हम COVID-19 सम्बंधित बाधाओं से जूझ रहे थे। विशेष रूप से, हम अश्वनी कांगे, बेनीपुरी गोस्वामी, नरेश बुनकर, विजेंद्र अज़नबी और राजिम केतवास को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे साथ डेटा साझा किया -- विशेष रूप से धमतरी, कोंडागाँव और बस्तर जिलों के जिला प्रशासन -- और बस्तर जिले के अधिकारियों को जिन्होंने हमें फील्डवर्क के लिए क्षेत्र के दौरे की सुविधा प्रदान की। वेद कोल्हाटकर और पल्लवी त्यागी ने GIS-आधारित मैपिंग में मदद की, और ATREE- CFR टीम के सहयोगियों और ऑक्सफैम इंडिया की श्रीतमा गुप्ताभाया ने उपयोगी टिप्पणियों की पेशकश की। इस अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता ऑक्सफैम इंडिया से प्राप्त हुई। और इस रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद करने में विजेंद्र अज़नबी और वेंकट रामानुजम का योगदान रहा।

सन्दर्भ सूची-

"फारेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ एंड FRA 2006 - एविडेंस फ्रॉम 24 साइट्स "2019. काउन्सिल फॉर सोशल डेवलपमेंट और वसुंधरा https://www.fra.org.in/document/Forest%20Dwelling%20Communities%20and%20FRA%202006_Evidence%20From%2024%20sites.pdf

""इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 "2019 संस्करण-16, खंड-2. देहरादून भारतीय वन सर्वेक्षण:, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

https://fsi.nic.in/forest-report-2019?pgID=forest-report-2019

लेले, शरचचंद्र, आरुषि खरे और श्रुति मोकाशी 2020 "एस्टीमेटिंग एंड मेपिंग CFR पोटेंशियल फॉर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड महाराष्ट्र "रिपोर्ट. बेंगलुरु: सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ATREE

लेले, शरचचंद्र, नीमा पाठक ब्रूम, अतुल जोशी, अक्षय छेत्री, मीनल तथपति और श्रुति मोकाशी 2020 "क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट क्या है:, इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए, और इसे कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है?" पर्यावरण और विकास केंद्र, ATREE, बेंगलुरु और कल्पवृक्ष, पुणे (महा.)

मिश्रा, रितेश 2021. "छत्तीसगढ़ ने नगरीय क्षेत्र में जनजातीय समुदाय के अधिकारों को दी मान्यता " हिंदुस्तान टाइम्स, 9 अगस्त, 2021

मिश्रा, सैवी सौम्या 2016. "छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन अधिकारों का दावा करने के लिए समुदायों को मजबूत बनानाऑक्सफैम इंडिया ", जुलाई 2016

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/618586/bn-strengthening-communities-forest-rights-chhattisgarh-300716-en.pdf;jsessionid=59FBD1C828787FA54BEC5CA756CFC4C8?sequence=1

"ओडिशा के पड़ोसी राज्यों में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय अनुसंधान अध्ययन " 2013. अनु. जातियां एवं अनुजनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान., (SCSTRTI) https://hrln.org/publication/untitled-5ec7b0fb8bba5

साहू, गीतांजॉय, मृणालिनी पॉल और विजय देठे 2019 "सामुदायिक वन अधिकारों के सामाजिक आर्थिक लाभ : महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले मे पांचगाँव की केस स्टडी।द इंडियन जर्नल ऑफ " सोशल वर्क80 (4): 501. https://doi.org/10.32444/IJSW.2019.80.4.501-516

सरंगी, तापस कुमार 2020 "रिफोर्म इन फारेस्ट टेन्योर एंड लाइवलीहुड इम्पैक्ट; इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ फारेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इन ओडिशा एंड झारखण्ड जर्नल ऑफ लैंड एंड रूरल स्टडीज "8 (1): 77-95। https://doi.org/10.1177/2321024919883144

तथपति, मीनल 2015. "नागरिकों की रिपोर्ट 2015: वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन अधिकारपुणे ", भुवनेश्वर और नई दिल्ली :CFRLA की ओर से ऑक्सफैम इंडिया के सहयोग से कल्पवृक्ष और वसुंधरा

https://www.fra.org.in/document/CITIZENS'%20REPORT%202015%20COMMUNITY%20FOREST%20RIGHTS%20UNDER%20THE%20FOREST%20RIGHTS%20ACT.pdf

टेलीग्राफ इंडिया। 2020 "छत्तीसगढ़ वन अधिकारों को मान्यता देने में अग्रणी," 9 अक्टूबर, 2020

https://www.telegraphindia.com/india/chhattisgarh-leads-in-recognising-forest-rights/cid/1794289

“वन अधिकार नई आशाए” 2020. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन.

****